राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का तेरहवां दिवस [संख्या : 6

सोमवार,

9 मार्च, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: पहले इधर से प्रारम्भ किया जाए, प्रणाम। आप बड़े मुस्करा रहे हैं, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक, नमस्कार। नमस्कार।

अनुरोध एवं मांग

दिनांक 3 मार्च, 2015 को हुए सदस्यों के निलम्बन पर पुनर्विचार का अनुरोध

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खिन्न हैं। पक्ष और विपक्ष एक गाड़ी के दो पहिये हैं। साथ चलने चाहिए, दोनों, तो गाड़ी चलेगी।

श्री अध्यक्ष : चलने चाहिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह जो गतिरोध आया है, इस गतिरोध को खतम करने के लिए, स्पीकर साहब, आप ही कोई रास्ता निकालें जिससे मिलकर माननीय मुख्य मंत्रीजी का भाषण सुन सकें। मिलकर सदन चल सके। आखिर ऐसी कौन-सी बात थी कि प्रतिपक्ष के नेता तक को आपने सस्पैंड कर दिया, यह समझ से बाहर है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रतिपक्ष के नेता को आपने सस्पैंड किया है। प्रतिपक्ष के नेता को सस्पैंड करने के बारे में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा,...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): कहना चाहूंगा कि आप इसको रिवोक करें। और बाकी प्रतिपक्ष के नेता बताएंगे उनकी मांग क्या है, उसको सुनें और पूरा करें।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): राजेन्द्रजी, प्लीज।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन तारीख को सदन के अन्दर हमारे साथ में जो व्यवहार किया गया, यह बहुत ही ज्यादा निन्दनीय है। हमारा कांग्रेस का बाहर एक धरना चल रहा था शांति से। उस धरने के अन्दर जो कि बिलकुल शांतिप्रिय तरीके से चल रहा था, बर्बरता के साथ पुलिस लाठीचार्ज किया गया। हमारी यही मांग थी, किसानों के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत भूमि अधिग्रहण बिल है, बिजली की बढ़ी हुई दरें हैं, उनको वापस लेने का है, यही हमारी मांग थी। उस मांग को कुचलने के लिए पुलिस के द्वारा जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। माननीय विधायक सदन में आये, सदन में आने के बाद उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करनी चाही। हम किसको बताएंगे, अध्यक्ष महोदय? आपको ही हम निवेदन कर सकते हैं, आपको ही हमारी पीड़ा बता सकते हैं। आप ही हमारा प्रोटेक्शन करोगे। उसकी बजाय, माननीय विधायक ने अपने ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बारे में बताया तो उसके बारे में कोई सुनने को तैयार नहीं। माननीय होम मिनिस्टर जी बहुत ही अच्छे मन के और अच्छी सोच के हैं लेकिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया, एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और यह कहा गया सदन में कि पता नहीं कहां गुंडे से पिट कर आ गये। एक माननीय विधायक ....(व्यवधान) पुलिस के लाठीचार्ज से पीड़ित होकर आता है और उसकी सदन में कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष, महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी विराजे हुए हैं, आज बजट सत्र में बजट का दिन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इस महत्वपूर्ण दिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: विराजिये। प्रद्युमन सिंह जी। आपके वरिष्ठ सदस्य कुछ कहना चाहते हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी इस बात का सदन में जवाब दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) एक मिनट राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति दी है आपने।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): राठौड़ साहब, आप पहले मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष: प्रद्युम्न सिंहजी को सुन लें, उनके बाद आपको मौका दूंगा। माननीय प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) देखिये, हम शांति से अपनी बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। नहीं, नहीं, आपकी बात सुनेंगे, आप बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्री जी का अगर दो मिनट डिले भी हो जाएगा, heavens are not going to fall. माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन जो कुछ हुआ, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, वे सदन की नेता भी हैं, मुख्य मंत्री होने के साथ-साथ सदन की नेता भी हैं, उनका दायित्व पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रति समान होना चाहिए। और ऐसा होगा भी, ऐसा मैं मान कर चलता हूं। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उस दिन हुआ, और दो मिनट लगेंगे, यहां पर लैंड एक्वीजिशन बिल को लेकर, बिजली की बढ़ी दरों को लेकर प्रदर्शन था। यहां पर कहा गया कि कहां पिट कर आये हो, क्या पता कहां पिट कर आये हो। सदन के नीचे सामने ही सब कुछ हो रहा था और सरकार को मालूम न हो, यह सम्भव नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को चोट आयी है, अखबारों में भी आया है। यहां की पुलिस अध्यक्ष को न पहचाने, यह कैसे सम्भव है? यह जो अनर्थ हुआ था, और, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन करूंगा कि आपने भी उस दिन अपने दायित्व का निर्वहन भली प्रकार नहीं किया। आप भी क्रोध में आ गये थे।

श्री अध्यक्ष: मैं और क्रोध!

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब आप सुन लें, श्रीमान्। जो बात है, बड़े नम्र शब्दों में आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप भी क्रोध में आ गये थे। अगर आपको था तो सदन को पांच मिनट के लिए, दस मिनट के लिए एडजोर्न करके इस मामले को रिजाल्व किया जा सकता था। मैं माननीय मुख्य

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि अपना बजट भाषण आरम्भ करने से पूर्व इसके ऊपर सदन को आश्वस्त कर सकें कि एक उच्चस्तरीय जांच करायी जाएगी इस मामले की, लाठीचार्ज हुआ है, नम्बर-1 जो हमारे निलम्बित विधायक हैं, उनके बारे में क्या सकारात्मक रूख सरकार का और आसन का रहेगा? इन दो बातों के ऊपर अगर मुख्य मंत्री महोदय यहां पर कुछ आश्वासन दे सकें तो हम निश्चित रूप से उनके बजट भाषण को सुनेंगे।अगर उन्होंने नहीं कहा तो मजबूरी में बहुत आदर के साथ निवेदन कर रहा हूं आपसे कि यह हमारी पार्टी का निर्णय है कि हम इस सदन से वाकआउट करके जाएंगे। हम वैल में नहीं आएंगे, हम सदन से वाकआउट करके चले जाएंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि आज इतना महत्वपूर्ण बजट भाषण हम नहीं सुनें। राजस्थान की पूरी जनता सुनेगी और हम नहीं सुनें। हमारा कोई अनादर नहीं हैं मुख्य मंत्री के प्रति और सदन के प्रति। मैं चाहूंगा, बजट भाषण आरम्भ करने से पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी उच्चस्तरीय जांच और निलम्बन के बारे में अपनी राय अगर यहां व्यक्त कर सकें तो बड़ी कृपा होगी। यही मेरा आसन से अनुरोध है, श्रीमान्।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में दो महत्वपूर्ण समय होते हैं, एक वो जब आर्टिकल 202 के तहत प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है जिसको हम बजट भी कहते हैं और एक आर्टिकल 176 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय का अभिभाषण। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखने में यह आया है कि इन दोनों समय की बड़ी सैंक्टिटी रहती है। ये गरिमापूर्ण समय रहते हैं। सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष आसन के नेतृत्व में इस पूरे समय को बड़ी गरिमापूर्ण निकालते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार नहीं है, मुझे वह समय भी याद आ रहा है 2004 में जब पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे उस समय भी इसी प्रकार की घटना हुई और 2014 में भी पहले बजट में इस तरह की घटना हुई। एक घटना को लेकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, होता क्या है, आज पूरा राजस्थान है, कई घटनाएं घटित होती हैं- मैं उस घटना को कोई यह नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी घटना हुई। प्रतिपक्ष के पीसीसी के चीफ के नेतृत्व में मानों कोई आंदोलन हुआ, उसमें कोई घटना हुई, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ, एक प्रश्न चिह्न लगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे हमने सिर्फ अनुमति इतनी-सी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मांगी थी कि हमें आप आधा घंटे का समय दे दें। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हमारी नेता का भाषण पूरा हो जाए, माननीय गृह मंत्रीजी पूरा वक्तव्य दे देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको नहीं माना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर विराज रहे थे, मैंने एक प्रार्थना की थी। मैंने प्रार्थना यह की थी कि पूरे घटनाचक्र को वीडियो में दिखाया गया है, आपके नेतृत्व में प्रतिपक्ष के नेता और गृह मंत्रीजी दोनों पूरे फोटोज को देख लें, और उसमें किसका दोष है किसका दोष नहीं है, यह निर्णय आप पर छोड़ दें। और आप सदन को चलने दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खुद आपसे मिला था। मैंने खुद आपसे आग्रह किया था कि सदन की परिभाषा तब पूरी होती है जब पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों रहें। आपने भी मुझे यह कहा था कि मैं यह चाहता हूं कि सदन में प्रतिपक्ष भी रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, होता यह है, आज तक गतिरोध हुआ, मैं भी कई बार उधर बैठा हूं माननीय सदस्य और भी कई बार उधर बैठे हैं, जब कभी गतिरोध हुआ, माध्यम हमेशा आसान बना है। आसन के सामने हमने गुहार की चाहे पक्ष हो प्रतिपक्ष हो। हम अपनी वेदना आपके पास लेकर जाते हैं। मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि अगर कोई बात थी तो आपको आकर अपनी बात कहते। आपका हुक्म हमें मिलता, हम दौड़े हुए चले आते और गतिरोध को समाप्त करने की पहल करते। अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, 170 लोग जिस प्रदर्शन में हों, उसको राजनीतिक रूप से भुनाने के लिए, और इस सदन में आपने देखा होगा, कभी कपड़े उतार कर किसी सदस्य को सदन के वैल में आते हुए देखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय? लगातार आपके कहने के बाद। और अब आपको आरोपित करें कि आपको क्रोध आ गया। आप विक्रमादित्य की कुर्सी पर बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कुर्सी को क्रोध कभी नहीं आता। यह कुर्सी न्याय का प्रतीक है, माननीय अध्यक्ष महोदय। आपके लिए हम और ये दोनों समान हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता से निवदेन करना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा, आर्टिकल 202 के तहत यह गरिमापूर्ण समय है, बजट का पूरा पाठन माननीय मुख्य मंत्रीजी कर लें, उसके बाद आपके कक्ष में आप अगर हमें बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। पूरी बात, गृह मंत्री के पास अब भी पूरी बात तैयार है। और, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि गृह मंत्रीजी से चार शब्द सुन तो लें। हम इस गतिरोध को समाप्त करना चाहते हैं। संसदीय कार्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री के रूप मुझे मुख्य मंत्रीजी ने उसी वक्त बुलाकर कहा कि यह गतिरोध नहीं चलना चाहिए, यह क्यों चला। मैंने जब पूरे घटनाक्रम का आपसे निवेदन किया तो आपके मन में भी पीड़ा थी। आपका भी यह कहना था कि हमारा दूसरा बजट है, उस बजट में प्रतिपक्ष भी रहे। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, प्रतिपक्ष के नेता, कि इस पूरे घटनाक्रम में जब आप चाहोगे, सरकार अपना वक्तव्य दे देगी। आप पूरे घटनाक्रम का चित्रण देखना चाहोगे, पूरी वीडियोग्राफी में आप देख लें, कौन दौषी है, कौन दोषी नहीं है उसका सारा हो जाए। परन्तु आज के समय में जितनी सैंक्टिटी है, राजस्थान की विधान सभा की परम्पराओं और गरिमाओं के लिये दूसरी विधान सभाओं में लोग चर्चा करते हैं, इसको बनाये रखें और बड़ा मन रखें। माननीय वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का बजटीय भाषण सुनें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुनें।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं। गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हमने यह निवेदन किया था, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैंने गृह मंत्रीजी को इजाजत दी है। मैंने गृह मंत्री जी को बोलने के लिये कहा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप बोलने ही नहीं देते। विपक्ष के साथ जो अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया था...

श्री अध्यक्ष: आप चाहते क्या हैं? आप इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह कह रहा हूं कि आपने 8 माननीय विधायकों को सस्पैंड किया था, उनके साथ मार्शलों को बुलाकर....

श्री अध्यक्ष: आप इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं? अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: आपके वरिष्ठ सदस्य ने जिस तरह की बात कही है ... (व्यवधान) उस पर विचार किया जाना चाहिये। (व्यवधान) आपके आपसी झगड़े में आक्रामक क्यों हो रहे हैं? अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। मुझे अफसोस है कि इनका भाषण अंकित नहीं होने का आदेश देना पड़ा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, मैंने उस दिन भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूं। मैंने आग्रह किया था कि सच्चाई की आप और हम जानकारी कर लें। जो हमारे पास वीडियो रील बनी है, उसके फुटेज जिनको आप अपांइट करें, वह आपके भी मैम्बर देख लें, हम भी देख लें। आपकी अध्यक्षता में देखने के बाद अगर आप यह कहें कि यहां पुलिस दोषी है तो उसके लिये मैं स्वयं दंडित होने को तैयार हूं। पुलिस नहीं, मैं स्वयं दंडित होने के लिये तैयार हूं। मैंने जो कुछ भी उसमें देखा, लगभग 3.40 मिनट पर बैरीकेड्स के पास यह धक्कम-धूम शुरू हुई, बाकी सारी भीड़ कहां थी, पता नहीं। बैरीकेड्स के पास 150-200 लोग थे जो बार-बार यह कोशिश कर रहे थे कि बैरीकेड को तोड़ दें। पुलिस लगातार जद्दोजहद कर रही थी, आप स्वयं देखना। नेता प्रतिपक्ष, मैं आपको ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूं कि आप स्वयं देखिए और स्वयं देखने के बाद यह निर्णय कीजिए कि वास्तव में पुलिस की धैर्यता की भी पराकाष्ठा हो गयी है। लगातार वे धक्कम धूम झेलते रहे, झेलते रहे। जब लास्ट में उन्होंने बैरीकेड पार करने की कोशिश की तब जाकर पुलिस ने सख्ती की। मैंने कहा, एक मिनट का भी आधा भाग, उस दिन भी मेरे रिकार्ड पर होगा, उस समय पुलिस ने लाठियां उठाईं जो हवा में सब जगह दिख रही थीं, गिरती हुई एक लाठी मुझे दिखाई नहीं दी, जो मैंने देखा है। हो सकता है, मेरे देखने में कहीं कमी रह गयी हो तो हम फिर देख सकते हैं। आप कोई भी दो लोग आ जाएं, हम आ जाएं। अध्यक्षजी, आपके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चैम्बर में बुला लीजिए। और देखने के बाद यह कीजिए कि पुलिस का भी अपना एक धर्म होता है। आप आंदोलन करो, लोकतंत्र में आपको अधिकार है। आज जो कुछ करना चाहें, उसके लिये हम कोई नहीं। वाटर केनिंग करने के बाद भी जब आप बैरीकेड को पार करके आगे निकलने का प्रयास कर रहे थे तब उन्होंने उठायी। लेकिन उससे सारी भीड़ सामान, डंडे सब छोड़ कर भाग गयी। यह स्थिति थी। और उसके बाद मैंने ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया था, आप विराजिए। आप गृह मंत्रीजी को डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे कह रहा हूं, आप और प्रतिपक्ष के नेता और हमारे में से जिनको भी दो को आप चाहो, एक बार वीडियो क्लिप देख लें, उसके बाद फिर जो आपको शिकवा-शिकायत हो, वह आपको कहने का अधिकार है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसके बाद आपको कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन सच्चाई को भी तो स्वीकार करना पड़ेगा और उस सच्चाई के आधार पर निर्णय लेना पड़ेगा। केवल आप इस बात को लेकर के लग गयी। अब परिस्थिति कहां थी, कैसी थी, कहां आपको दिखाई दे रहा है, कहां आपको चलता हुआ लाठीचार्ज दिख रहा है, पांच मिनट, दस मिनट। मैंने जो कुछ भी 3.40 से लेकर 4.10 की क्लिप देखी है उसमें मुझे कहीं नहीं। लास्ट में एक मिनट का भी जो आधा मिनट रहा, बैरीकेड पर जब स्वयं अशोक चांदनाजी थे, उस समय जो खींचातानी होकर उन्होंने जो लट्ठ उठाया, उसके बाद सारे लोग भाग गये। यह दृश्य है। उस आधा मिनट में क्या हो सकता है और कितना हो सकता है, यह आप स्वयं देखकर निर्णय करें। क्योंकि प्रतिपक्ष के बिना इस हाउस का कोई सम्मान नहीं है। आपकी मौजूदगी लोकतंत्र के लिये आवश्यक है। हम आपका पूरा सम्मान करते हैं। मैं कम से कम आपको यह विश्वास देता हूं, अगर मान लो, मेरी पुलिस के द्वारा कहीं कोई ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) कमी रही है तो निश्चित रूप से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह मेरी बिना अनुमति के बोल रही हैं, अंकित नहीं हो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर प्रार्थना कर रहा हूं कि सच्चाई तक पहुंचना चाहिये। (व्यवधान) मैं अपनी तरफ से आपको आग्रह करता हूं कि सच्चाई तक पहुंचना चाहिये जिससे कम से कम एक बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कौन सच है, कौन गलत है, वह फुटेज के आधार पर निर्णय करेंगे। आप दो लोगों को नियुक्त करो, हम दो लोग नियुक्त हो जाते हैं, आप देख लीजिए और देखने के बाद ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद कोई बात कहने को बचती नहीं। मैं आपको याद दिला दूं, आपने ...(व्यवधान) रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को 6 महीने तक के लिये बाहर रखा था बिना कसूर के है। तो वो ही। 2004 में आपने जो कुछ किया, 2014 में आपने जो कुछ किया, अध्यक्ष महोदय, अब अगर आदत ही पड़ गयी कि बजट भाषण सुनना नहीं, उसका तो मेरे पास इलाज नहीं। अध्यक्ष महोदय, हम अब भी कह रहे हैं कि आप चैम्बर में बुला लें, सारी चीज को आप देख लें, प्रतिपक्ष के नेता की अध्यक्षता में आप कमेटी बना दें, हम तैयार हैं। पर देखें तो सही। आप भाषण सुनें और उसके बाद आगे चलाएं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप विराजिए। आप विराजिए। आसन पैरों पर है। आप विराजिए, आसन पैरों पर है। माननीय सदस्यगण, हम सदन चलाते हैं, कई बार तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार आवेश के क्षण भी आ जाते हैं। हम राजनीतिक पार्टी के हिसाब से अपना पक्ष यहां रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका पक्ष मजबूत हो, जनता तक पहुंचे। 3 तारीख को जो कुछ हुआ, वह कोई सुखद नहीं था, दु:खद था। लेकिन एक के बाद एक कोई भी ऐसी स्थिति जो संसदीय तरीके से निपटायी जा सके, उस एक भी प्रस्ताव को नहीं मानना और बिलकुल अनियंत्रित होकर यहां पर जिस तरह का किया गया, मैं उस पर इसलिए नहीं जाना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष अपने रवैये में थोड़ी-सी नरमाई लाये हैं। सबसे पहले तो घोषणा की थी कि हम बहिष्कार करेंगे, अच्छा हुआ कि उन्होंने इस बहिष्कार की घोषणा को वापस लिया। हम

(श्री अध्यक्ष)

जाएंगे और मांग उठाएंगे, एक लोकतांत्रिक तरीके से यह व्यवहार जो उन्होंने अपना बताया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन यहां फिर उस बात को लेकर गर्मी जनरेट की जा रही है। मैं सोचता हूं कि प्रतिपक्ष की ओर से राजाखेड़ा के माननीय विधायक ने जिस बात की तरफ संकेत किया है, मैं उससे सहमत भी हो सकता हूं लेकिन यहां हीट जनरेट की जा रही है इसलिए कि किसी न किसी तरह, कहीं न कहीं, कोई न कोई नेतृत्व का झगड़ा है, उसको निपटाया जाए। उसके लिए इस मंच को उपयोग नहीं होने दिया जाएगा।

मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का भाषण हो जाए उसके बाद आप मेरे चैम्बर में आ जाइए, जो भी आपकी मांगें होंगी, बहुत ही सह्रदयतापूर्वक, मैं अपनी तरफ से अपील करता हूं कि सदन की कुछ मर्यादाएं हैं, हमको सदन को चलाना है, साथ बैठकर चार साल निकालने हैं। उसमें हम कभी-कभी जो कुछ हो जाता है उसको पकड़कर बैठ जाएं, क्या हुआ और क्या नहीं। माननीय गृह मंत्रीजी ने जिस उदारतापूर्वक आपको आमंत्रित किया है, उसमें जो भी होगा, वह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह सदन तो जजमेंट नहीं दे सकता न। आखिर सरकार को अपनी स्थिति रखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। इसलिए मैं इस राय का हूं कि इधर से भी और इधर से भी बैठ लिया जाए। सदन शांतिपूर्ण, अभी इसके बाद ही बैठ लिया जाए। जैसा भी आप कहेंगे। आखिर सब नियम हैं, उपनियम हैं, सारे अपने सामने हैं, उसके हिसाब से हम अपना निर्णय ले लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी भी इस मामले में, जैसा कि मेरे से बात हुई, उन्होंने कहा कि यह दु:खद हुआ। लेकिन कई बार हो जाता है। आपने कहा क्रोध, तो कभी-कभी क्रोध आना भी स्वाभाविक है, मैं उसको मना नहीं करता। आप भी जानते हैं कि कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिनमें क्रोध आ भी जाता है। उसका प्रकटीकरण नहीं होना चाहिए। पर कभी-कभी वह प्रकटीकरण भी हो जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी अपना बजट भाषण प्रस्तुत करें। जिस बजट भाषण का सारे राजस्थान की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, उस बजट भाषण को आप होने दें। फिर अपना रास्ता अपन निकाल लेंगे। आप तो भाषण देने लग गये। अब भाषण होने दीजिए कृपया, हाथ जोड़ता हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आसन की आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष: मेरा आपसे निवेदन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आसन की आज्ञा शिरोधार्य है, अध्यक्ष महोदय, आगे कार्यवाही चलाएं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आसन की आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, आपने...

श्री अध्यक्ष: अब आप बोल रहे हो और आपके तीन और बोलेंगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कटारियाजी ने कहा, कटारिया जी ने बहुत अच्छी बात कही, यह बात उस समय पहले भी हो सकती थी। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं... (व्यवधान) मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, जिस तरीके से इस सदन के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कह चुके यह बात पहले भी, अब बार-बार। आप कह चुके यह बात।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बार-बार हीट क्यों जनरेट करना चाहते हैं?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन नहीं करूंगा, अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, फिर निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे नौ सदस्य हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हुए आप हीट जनरेट मत कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं हीट जनरेट नहीं कर रहा।

श्री अध्यक्ष: आप हीट जनरेट करेंगे तो आपके ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हम अपनी पीड़ा बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पीड़ा आप वहां बताइये न, अपन बैठकर बात करेंगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इस तरीके से सदन के अन्दर मार्शल को बुलाकर ...(व्यवधान) हम सबको निकाल दिया...

श्री अध्यक्ष: अगर मैं बोलूंगा, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ...(व्यवधान) मैं बोलूंगा तो आपकी पोल खुल जाएगी, आपसे अभी कहना चाहता हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हम सबको निकाल दिया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैनेज था सारा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमें निकाल दो। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे को निकालकर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 15 मिनट पहले वह आदमी यहां आकर बैठ गया था जिस समय आप भाषण दे रहे थे। (व्यवधान) अगर उसकी पीड़ा होती तो आपके भाषण के बीच में आकर यहां बोलता। मुझे बोलने को मजबूर मत करो। (व्यवधान) मैं फिर निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हम 16 जने सस्पैंड नहीं थे और 16 जनों को भी उन नौ जनों के साथ में निकाल दिया गया था मार्शल के द्वारा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, ये तो तय करके आये हैं ...(व्यवधान) वाकआउट करेंगे।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़): हमारे सदस्यों को तो आप निलम्बित करें और ...(व्यवधान) हम चुपचाप बैठे आपकी बात को सुनते रहें, यह हमारे लिए सम्भव नहीं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): जान बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? जो लाठीचार्ज हमारे कार्यकर्ताओं पर हुआ, उस पर आप जांच बिठाओगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं नहीं चाहता कि हीट जनरेट हो। इसलिए मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूं। सारा घटनाचक्र मेरे सामने गुजरा है, मैं बोलना भी नहीं चाहता। जो आपका विधायक था, 15 मिनट पहले वहां आकर बैठा। आपको

(श्री अध्यक्ष)

चिट आयी, आपने कहा रहने दो। आपका भाषण पूरा हुआ, फिर हल्ला करने के लिए खड़ा हुआ। अगर वास्तविक पीड़ा होती तो आपका भाषण हो रहा था उस समय आकर आपके सामने कहते और सदन के सामने कहते। एक नाटक खड़ा किया गया है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, उस समय लाठीचार्ज हुआ था और लाठीचार्ज के बाद दस मिनट के अन्दर सदन में आ गये थे माननीय विधायक। दस मिनट के अन्दर। आप जो कह रहे हो, हम किस-किस तरीके से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 15 मिनट पहले मैंने देखा है, वहां से चिट आयी आपके पास, आपने कहा रहने दो ...(व्यवधान) नाटक किया गया, यह मैं कह सकता हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): जिस तरीके से व्यवहार किया गया ...(व्यवधान) यह सदन के लिए गरिमा का विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप जिस तरह हीट जनरेट करना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, कटारियाजी ने जिस तरीके से विधायक के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया उसकी ताइद, अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बड़ा दु:ख होता है उसकी ताइद आपने अध्यक्ष महोदय, आसन ने उसकी ताईद की, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्रीजी का भाषण होगा। आप अपना भाषण प्रारम्भ कीजिए। मुख्य मंत्रीजी का भाषण होगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्रीजी का भाषण होगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यदि हमारी बात नहीं सुनी गयी, यदि विपक्ष को ...(व्यवधान) प्रोटेक्शन नहीं दिया तो विपक्ष इस सदन से बायकाट करके जाता है।

(कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की सुनें।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-16 का उपस्थापन

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान और वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूं।

1. हमने 14 जुलाई, 2014 को राज्य का परिवर्तित बजट 2014-15 प्रस्तुत किया था। एक वर्ष से भी कम अंतराल के पश्चात् आज मैं 2015-16 के आय व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रही हूं। पिछले बजट में हमनें यह बताया था कि किस प्रकार की जर्जर अर्थव्यवस्था हमें विरासत में मिली थी। मैं उन बातों को यहां दोहराना नहीं चाहती हूं परन्तु यह एक कठोर सत्य है कि कुल मिलाकर प्रदेश वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार रहा है।

2. आज मैं चार लाइन उनके लिए समर्पित करना चाहती हूं जिनको आज यहां होना चाहिए था और जिनकी वजह से आज प्रदेश के ये हालात हैं।

आप चाहते तो हालात बदल भी सकते थे,
ये हालात अवाम की आंखों से देख भी सकते थे।
मगर आप तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह,
दरिया बनते तो बहुत दूर निकल भी सकते थे।

3. टीम राजस्थान ने इस गम्भीर चुनौती को स्वीकार किया और सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और लगन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए सुधारात्मक कदम उठाने शुरू किये ताकि आर्थिक हालात सुधर सकें। जैसा कि मैं बार-बार कहती आ रही हूं, इस गम्भीर स्थिति से उबर पाना कोई एक दिन, दो दिन या एक वर्ष का काम नहीं है बल्कि एक सतत् प्रक्रिया का हिस्सा है क्योंकि जहां एक ओर आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है वहीं दूसरी ओर जनआकांक्षाओं की पूर्ति करना भी उतना ही आवश्यक है।

4. हमारे हौसले बुलंद हैं और हमने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कठोर परिश्रम का मार्ग अपनाया है ताकि हम जल्द से जल्द प्रदेश को आर्थिक और सामाजिक उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ा सकें। कैपिटल एक्सपैंडीचर में वर्ष 2013-14 के मुकाबले वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान के अनुसार 40 प्रतिशत की वृद्धि होना संभावित है, अर्थात् हमने कर्ज को एसेट्स क्रिएशन करने में लगाया है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

5. आर्थिक सलाहकारों की मानें तो पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयास निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में उठाये गये सराहनीय कदम हैं परन्तु आर्थिक स्थिति मजबूर होने में अभी समय लगेगा। इतना अवश्य है कि गत 14 माह के अथक प्रयासों से प्रदेश के प्रति देश-विदेश में एक सकारात्मक रूख उत्पन्न हुआ है और निवेश का वातावरण बना है। निराशा और हताशा के माहौल की जगह आज आशा और विश्वास का वातावरण बना है।

6. मुझे याद है कि किस प्रकार सुराज संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश की जनता ने अपना अटूट विश्वास ओर स्नेह हमारे प्रति दिखलाया। इस परिवार के कल्याण के लिए और इस गौरवपूर्ण प्रदेश की खुशहाली, उन्नति और सर्वांगीण विकास के लिए टीम राजस्थान पूर्णतया समर्पित है।

7. अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले कार्यकाल में 6 आदर्शों को आधार मानते हुए प्रदेश की नीति निर्धारित की थी और इसके समग्र विकास की आधारशिला रखी थी। इस बार भी हमने इसी दिशा में प्रयास किये हैं और बिना समय गंवाए कार्यभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के अन्दर ही 20 दिसम्बर, 2013 को प्रदेश के मंत्रिमण्डल सहयोगियों और अधिकारियों के समक्ष विजन-2020 प्रस्तुत किया जिसमें "A Healty, Educated, Gender Sensitive, Prosperous, and Smiling Rajasthan, with a well developed economic infrastructure" की परिकल्पना का उल्लेख किया था।

8. हमारा उद्देश्य है कि हम प्रदेश को पुन: अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करें। हाल ही में प्रदेश को 46 नगरीय निकायों तथा समस्त पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये गये हैं। इनमें चुने गए महापौर, सभापति, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं वार्ड पंचों को मैं बधाई देती हूं। मैं आशा करती हूं कि सभी वन-निर्वाचित प्रतिनिधिगण जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और विजन-2020 की भावना के अनुरूप राजस्थान के नव-निर्माण में भागीदार बनेंगे।

9. प्रदेश का त्वरित विकास तभी सम्भव है जब हम आर्थिक आधारभूत संरचनाओं के साथ-साथ सामाजिक आधारभूत संरचनाओं का विकास करें; जल संरक्षण और संग्रहण पर ध्यान दें, मानव संसाधन का विकास करें जिससे उनकी प्रतिभा उभर कर सामने आए और उनकी सकारात्मक ऊर्जा प्रदेश के विकास में लग सके।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

10. हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ-साथ प्रत्येक परिवार को रोजगार के अवसर मिल सकें और विकास की मुख्य धारा से कोई भी वंचित न रहे।

11. इन लक्ष्यों को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब शासन की शीर्ष इकाई जमीनी स्तर से जुड़ी रहे और सुशासन कायम रहे। समृद्ध और विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए जहां इन सभी आधार स्तम्भों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है, वहीं 'सबजन उत्थान और सबजन विकास' के नारे को यथार्थ में बदलने के लिए मूलभूत आवश्यकता वाले विभागों जैसे- बिजली, पेयजल, जल संसाधन, कृषि, सड़क, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों में लम्बित विवादों के शीघ्र निराकरण की दिशा में निरन्तर ठोस प्रयास किये जा रहे हैं।

12. प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में वृद्धि हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति औसत आय (Per Capita Income) में भी वृद्धि हो। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने जिस प्रकार पिछली बार वर्ष 2007 में Resurgent Rajasthan का आयोजन किया था, उसी प्रकार का आयोजन इस वर्ष नवम्बर माह में रखा गया है जिससे कि औद्योगिक निवेश का वातावरण बन सके और युवाओं को बेहतर रोजगार राजस्थान में ही मिल सके। राजस्थान औद्योगिक निवेश नीति-2014 तथा सौर ऊर्जा नीति-2014 इसी दिशा में उठाये गये महत्वपूर्ण कदम हैं।

13. मैं मानती हूं कि प्रदेश में आर्थिक प्रगति तथा Sustainable, Inclusive एवं Equitous Growth के लिए Priority Sectors को चिह्नित कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। मेरी परिकल्पना है कि हम प्रदेश के हर गांव-ढाणी को सड़क से जोड़ें, लोगों को 24x7 गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराएं और पीने के लिये शुद्ध पेयजल मुहैया कराएं। हर परिवार को पक्की छत मिले और हर बीमार तक चिकित्सा सुविधा पंहुचे तथा प्रदेश का कोई बालक और बालिका अशिक्षित नहीं रहे- इसी परिकल्पना को हमें साकार करना है। मेरा मानना है कि शिक्षित महिला ही प्रगतिशील परिवार और प्रगतिशील राजस्थान की नींव है। मेरी सोच है कि समाज के वंचित वर्ग एवं नि:शक्तजनों के लिए क्रियान्वित की जाने वाली सामाजिक योजनाएं मात्र योजनाएं ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति हमारे दायित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। विषम

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आर्थिक परिस्थिति के बावजूद भी हम इस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

14. आज आवश्यकता इस बात की भी है कि सूचना प्रौद्योगिकी तथा मोबाइल सेवा के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को सरकारी योजनाओं से 24x7 जोड़ा जा सके, ताकि वे इन योजनाओं का समुचित लाभ उठा सकें।

15. विकेन्द्रीकृत आयोजना (Decentralized Planning) को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर जन-प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद जिलेवार कुछ कार्यों को चिह्नित किया गया है। इन कार्यों को सम्बन्धित विभागों की कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा। इन कार्यों का उल्लेख मैं आगे करूंगी।

16. यह बजट राजनीति नहीं बल्कि राजधर्म से प्रेरित बजट है। जनता पर केन्द्रित यह बजट न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे कि सही मायने में सशक्त और सम्पन्न राजस्थान का नवनिर्माण हो सके। इसी पुनीत उद्देश्य के साथ और जनता को सर्वोपरि हुए मैं आपके समक्ष बजट 2015-16 प्रस्तुत करती हूं।

आर्थिक आधारभूत ढांचा

सड़क

17. राज्य के समग्र विकास के लिए road connectivity बढ़ाना हमारी प्राथमिकता रही है। इस वर्ष हमारी योजना है कि 10 हजार किलोमीटर से अधिक विभिन्न श्रेणियों की सड़कों के निर्माण कार्य अथवा नवीनीकरण के कार्य कराये जाएं। गत बजट में मैंने इस महत्वपूर्ण आर्थिक ढांचे के निर्माण के लिए 20 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को निजी-जन सहभागिता के आधार पर विकसित किये जाने की घोषणा की थी। वर्ष 2015-16 में निम्न राज्य राजमार्गों पर कार्य प्रारम्भ किया जाएगा:-

डूंगरगढ़-सरदारशहर-राजगढ़ - 159 किलोमीटर

श्रीगंगानगर-रायसिंहनगर - बीकानेर-227 किलोमीटर

दूदू-मालपुरा-टोडारायसिंह - 104 किलोमीटर

दर्रा-खानपुर-अकलेरा - 89 किलोमीटर

सीकर-लाडनूं-नोखा - 200 किलोमीटर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

18. गांवों की यात्रा के दौरान महिलाओं एवं ग्रामवासियों ने मुझे गांवों की खस्ताहाल सड़कों एवं उन पर water logging के कारण हो रही परेशानियों से अवगत कराया था। इन परेशानियों को दूर करने के लिए हमने ग्रामीण गौरव पथ योजना लागू की है। इसके तहत प्रथम चरण में 2 हजार 154 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 2 हजार 119 किलोमीटर लम्बाई की आर.सी.सी. रोड तथा नाली निर्माण किये जाने की स्वीकृति जारी की है तथा ये कार्य प्रगति पर हैं। इसके साथ-साथ गांवों की आपस में connectivity बढ़ाने के लिए वर्ष 2015-16 में 2 हजार किलोमीटर लम्बाई की मिसिंग लिंक्स सड़कों के निर्माण की भी मैं घोषणा करती हूं। आगामी वर्ष में इन कार्यों हेतु 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

19. Output and Performance based Road Contract पद्धति के तहत 8 वर्ष के लिए सड़कों का रख-रखाव सक्षम ठेकेदारों के माध्यम से कराये जाने की मैंने गत वर्ष घोषणा की थी। प्रथम चरण में इस पद्धति को अलवर एवं धौलपुर जिले में लागू करने की कार्यवाही हमने प्रारम्भ कर दी है।

20. राज्य में 250 से 499 तक की आबादी वाले 600 गांवों को 500 करोड़ रुपये की लागत से एक हजार 440 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है, जिसे दिसम्बर, 2015 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 250 व इससे अधिक आबादी के एक हजार 100 ढाणी-मजरों को सड़कों से जोड़ने का कार्य भी आगामी वर्ष में पूर्ण किया जाएगा। इस पर 960 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।

21. आगामी वर्ष में निम्नलिखित कार्य भी करवाये जाएंगे:-

-सवाई माधोपुर जिले में भैंरू दरवाजा से सवाई माधोपुर शहर तक additional carriage way का निर्माण 30 करोड़ रुपये की लागत से।

- हनुमानगढ़ शहर एवं हनुमानगढ़ जंक्शन के मध्य घग्घर नदी पर उच्चस्तरीय पुल के पुनर्निर्माण का कार्य 40 करोड़ रुपये की लागत से।

- डूंगरपुर जिले के साबला बाइपास और तीजवाड़ से सिंटेक्स चौराह वाया तहसील चौराहा सड़क का सुदृढीकरण का विस्तारीकरण कार्य 14 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से।

- धौलपुर जिले में सेवर से पाली तक सड़क निर्माण 4 करोड़ 43 लाख रुपये की लागत से।

- चित्तौड़गढ़ जिले में भोपाल सागर से नरेला वाया सूरजपुरा सड़क का

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण का कार्य 76 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत से।

- चम्बल नदी पर गेंता जिला कोटा तथा माखीदा जिला बूंदी के मध्य उच्चस्तरीय पुल का निर्माण 102 करोड़ रुपये की लागत से।

- भरतपुर के नदबई बाइपास एवं RoB का कार्य 105 करोड़ रुपये की लागत से।

- अलवर शहर में घोड़ाफेर सर्किल से अहिंसा सर्किल तथा कटी घाटी से अहिंसा सर्किल सड़क का विस्तारीकरण तथा सुदृढीकरण का कार्य 30 करोड़ रुपये की लागत से।

22. वर्ष 2015-16 में 4 हजार किलोमीटर से अधिक लम्बाई में non-patchable मुख्य जिला सड़कों, अन्य जिला सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य 847 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण कराये जाएंगे।

23. खनिज क्षेत्रों तक आवागमन के साधनों को बढ़ावा देने, खानों के कार्य करने वाले श्रमिकों तथा क्षेत्र में बसे गांवों के लोगों की सुविधा के लिए खानों को जोड़ने वाली सड़कों का विकसित होना आवश्यक है। अत: इन क्षेत्रों की सड़कों का विकास कार्य 50 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाएगा।

24. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1 अप्रैल, 2014 को निर्माणाधीन 8 Rail over bridges (RoBs) में से एक RoB भरतपुर-मथुरा राज्य राजमार्ग संख्या 24 का निर्माण कार्य इस वर्ष पूर्ण कर लिया गया है। पांच RoBs यथा गंगापुरसिटी-हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर, मकराना जिला नागौर, मनिया-मुरैना जिला धौलपुर, ढाबादेह-मोढक जिला कोटा व फुलेरा जिला जयपुर का निर्माण कार्य वर्ष 2015-16 में पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही, लोहावट जिला जोधपुर में राईकाबाग-जैसलमेर रेलवे section, railway CH 103/800 पर RoB का निर्माण 35 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाएगा।

25. इसी तरह आगामी वर्ष में राज्य में निम्नलिखित Rail under Bridges (RuBs) का निर्माण 14 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया जाएगा:-

- गोगामेड़ी-तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ - 105 किलोमीटर पर

- तहसील भादरा-अनूप शहर, जिला हनुमानगढ़ - 124-125 किलोमीटर पर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- सिद्धमुख-भादरा, जिला हनुमानगढ़ - 136 किलोमीटर पर
- सिद्धमुख-नरवासी, जिला चूरू - 160-161 किलोमीटर पर
- नरवासी-सूरतपुरा, जिला चूरू - 165 किलोमीटर पर
- नरवासी-सूरतपुरा, जिला चूरू - 179 किलोमीटर पर।

सड़क परिवहन

26. आप सभी को यह जानकारी है कि RSRTC की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। हमने RSRTC में सुधार के लिए अनेक उपाय सुझाये थे जिन पर कार्यवाही जारी है। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों तथा रोडवेज की Performance सुधरे, जिससे कि वह Self sustaining बने, यह हमारा प्रयास और मंशा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष मैंने RSRTC के कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रखते हुए RSRTC को Reform Linked Assistance कार्यक्रम के तहत अनुदान देने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में भी reform Linked assistance कार्यक्रम जारी रखते हुए 120 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही Rajasthan State Bus Terminal Authority का गठन भी किया जा रहा है। Authority को उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि एवं संसाधनों हेतु 300 करोड़ रुपये RSRTC को उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार द्वारा यात्राओं पर दी जा रही विभिन्न रियायतों के लिए RSRTC को 160 करोड़ रुपये की अनुदान राशि भी उपलब्ध करवायी जाएगी।

27. वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 23 हजार निजी बसों के माध्यम से परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं। विगत कुछ वर्षों से राज्य में सड़क तंत्र के विस्तार के कारण कई क्षेत्रों में सुरक्षित परिवहन सेवा का अभाव है। अत: मैं दूर-दराज के क्षेत्रों में वैधानिक व सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 1 हजार 500 नये मार्ग खोलने की घोषणा करती हूं। नये मार्गों पर लगभग 6 हजार अतिरिक्त वाहन चलेंगे तथा 26 हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़ेंगे।

28. राजस्थान में Driving license एवं वाहनों के fitness certificate जारी करने की प्रणाली Subjective एवं non-transparent है। मोटर वाहनों के fitness certificate एवं वाहन चालक लाइसेंस जारी करने हेतु सर्वप्रथम जयपुर में आधुनिक तकनीक से सुसज्जित Integrated Computerised Fitness Centre

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

and Fully Automated Driving Track का निर्माण निजी जन सहभागिता के आधार पर करवाया जाएगा। जयपुर के पश्चात् इस योजना को अन्य सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर भी लागू किया जाएगा।

29. गत बजट में मेरे द्वारा परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए आगामी 2 वर्षों में चरणबद्ध रूप से Computerisation किये जाने की घोषणा की गयी थी। इसके अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में परिवहन विभाग द्वारा वाहन पंजीयन एवं driving license स्मार्ट कार्ड पर जारी किये जा रहे हैं। अन्य राज्यों से आ रहे वाहनों हेतु tax जमा करवाने की online सुविधा लागू की जा चुकी है। साथ ही परिवहन विभाग के उड़न दस्तों द्वारा प्रयुक्त वाहनों में GPS भी लगाये जा रहे हैं। आगामी वर्ष में वाहन कर, वाहन पंजीयन, चालक लाइसेंस और अनुज्ञा पत्र से सम्बन्धित सभी आवेदन online प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

30. सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित विभागों यथा परिवहन, पुलिस, शिक्षा, नगरीय विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के मध्य समन्वय स्थापित कर सड़क सुरक्षा के प्रावधानों को कानूनी रूप से प्रभावी बनाने हेतु Rajasthan State Road Safety Authority Act बनाया जाएगा। यह Authority प्रदेश में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नीतिगत निर्णयों की पालना सुनिश्चित कराएगी।

31. सड़क सुरक्षा के प्रति बच्चों को जागरुक एवं संवेदनशील बनाने के लिए राज्य के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा शिक्षा को सम्मिलित किया जाएगा।

हवाई परिवहन

32. गत बजट भाषण में मैंने राज्य में उपलब्ध हवाई पट्टियों में सुधार कर उनमें वायुयान कम्पनियों को राजस्थान में operate करने हेतु आकर्षित किये जाने का उल्लेख किया था। राज्य की हवाई पट्टियों के सुधार एवं विकास के लिए वर्ष 2015-16 में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

पेयजल

33. राज्य में पेयजल की कमी के साथ-साथ गुणवत्ता की भी गम्भीर समस्या है। राज्य की कुल 1 लाख 21 हजार 133 गांव-ढाणियों में से अब तक 70 हजार 171 गांव-ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। हमारा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्रयास है कि पेयजल सम्बन्धी योजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण करें, ताकि बाकी गांव भी पेयजल से लाभान्वित हो सकें।

34. गत परिवर्तित बजट में मेरे द्वारा पेयजल की 67 लम्बित योजनाओं में से 12 योजनाओं को वर्ष 2014-15 में पूर्ण करने हेतु 289 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवायी गयी है। उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अब शेष 55 में से निम्न 12 योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूर्ण किये जाने हेतु 494 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा करती हूं। इनमें से कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो हमारे द्वारा वर्ष 2006-07 में प्रारम्भ की गयी थीं तथा अब तक पूर्ण हो जानी चाहिये थीं, पर नहीं हुईं।

योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

- नागदा-अंता-बलदेवपुरा पेयजल परियोजना, जिला बारां।

- पीपलाद पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़।

- इन्द्रोंका-माणकलाव-दांतीवाड़ा पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर, वर्ष 2006 के अन्दर इसकी स्वीकृति थी। इतने साल निकल गये, आराम से बन सकती थी। परन्तु आज तक हुई नहीं है और इसको हम पूरा करेंगे।

- देवानिय-नाथरू-शेरगढ़-छाबा-फेज प्रथम एवं द्वितीय पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर। यह भी वर्ष 2007 की स्वीकृति है, इसको भी हम पूरा करेंगे।

- नर्मदा डी आर परियोजना, जिला जालौर।

- जालौर शहरी पेयजल योजना सुदृढ़ीकरण जिला जालौर।

- मल्लार-जोड़-हिंडालगोल, फलौदी, जिला जोधपुर।

- कानसिंह की सिद-मण्डोर परियोजना, फलौदी, जिला जोधपुर।

- जयपुर-बीसलपुर पेयजल परियोजना, जिला जयपुर परियोजना के अन्तर्गत शेष बचे एक पैकेज के तहत खोनागोरियान क्षेत्र के लिए नवीन पेयजल वितरण केन्द्र का निर्माण किया जाएगा।

- बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना से जयपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा पानी लाने हेतु 200 एम.एल.डी. क्षमता के जलशोधन संयंत्र का सूरजपुरा पर निर्माण, जिला जयपुर।

- अजमेर-पुष्कर शहरी सुदृढ़ीकरण पेयजल योजना, जिला अजमेर। यह भी वर्ष 2007 की स्वीकृति है, आज तक पूरा नहीं किया है। इसको हम लोग पूरा करेंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

-बूंगी-राजगढ़ परिययोजना, जिला चूरू एवं झुंझुनूं।

35. आगामी वर्ष में निम्नलिखित योजनाएं हाथ में ली जाएंगी:-

- गत सरकार ने वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के बजट में घोषित नागौर लिफ्ट परियोजना फेज-II के कार्यों को चालू करने की घोषणा की थी, परन्तु ये घोषणाएं केवल कागजी ही रहीं। नागौर जिले में फ्लोराइड की समस्या है। इस परियोजना की क्रियान्विति प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।

- किशनगढ़ जिला अजमेर की पेयजल सप्लाई योजना के पुनर्गठन का कार्य 185 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से।

- पुनर्गठित शहरी पेयजल योजना, टोंक का कार्य 47 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से।

- प्रतापगढ़ शहर की विद्यमान पेयजल सप्लाई योजना का पुनर्गठन 94 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत से।

- राजसमंद जिले की पेयजल समस्या के निदान के लिए साबरमती बेसिन के गोगुंदा में अंबावा गांव के पास देवास चतुर्थ बांध का निर्माण कर राजसमंद बांध में diversion किये जाने हेतु DPR तैयार की जाएगी।

- खानपुर-झालावाड़ में शहरी पेयजल वितरण योजना के पुनर्गठन का कार्य 16 करोड़ 84 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा।

36. जैसलमेर जिले की मोहनगढ़ पेयजल सप्लाई स्कीम का पुनर्गठन 2 करोड़ 80 लाख रूपये की लागत से एवं 133 RD तहसील जैसलमेर के पारेवार-सेलत-मोतीकिलों की ढाणी पेयजल योजना के पुनर्गठन का कार्य एक करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से करवाया जाएगा।

37. वर्तमान में राज्य में 23 हजार 257 गांव-ढाणियों के भू-जल में अधिक fluoride and salinity के कारण पेयजल गुणवत्ता की समस्या है। गुणवत्ता प्रभावित गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2015-16 में 2 हजार RO Plants की स्थापना की जाएगी।

38. वर्ष 2015-16 में एक हजार Solar energy based borewell की स्थापना की जाएगी। इन borewells को प्राथमिकता से प्रदेश के उन स्थानों पर लगाया जाएगा जहां नियमित विद्युत आपूर्ति में बाधा आती है अथवा भू-जल स्तर नीचे जाने के कारण हैंड-पम्पों का संचालन सम्भव नहीं है। इस हेतु 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(12.00 बजे)

39. राज्य की जनता-जल योजनाओं को दुरुस्त करने हेतु वर्ष 2015-16 में 139 करोड़ 55 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में हैंडपंपों के वार्षिक रख-रखाव के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

40. बीकानेर सम्भाग के दौरे के दौरान मैंने देखा कि सम्भाग के चारों जिलों- बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर में विभाग द्वारा संधारित डिग्गी से संचालित पेयजल योजनाएं रख-रखाव के अभाव में ठीक से काम नहीं कर रही हैं। इन योजनाओं में बनी डिग्गी तथा टंकी की साफ-सफाई एवं maintenance, filter plant, inlet channel से डिग्गी तक खुले नाले के स्थान तक पाइप से जोड़ना, ट्यूबवैल्स को चालू करना तथा पाइप लाइन के लीकेज के दुरस्तीकरण की आवश्यकता है। इस वर्ष इस कार्य के लिए 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

ऊर्जा

41. मैंने पहले भी अवगत कराया है कि किस तरह गत सरकार राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों को debt trap में छोड़ गयी। इन कम्पनियों को अब पुराने कर्जे चुकाने के लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं। 31.3.2014 तक इनका accumulated loss 77 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। यह घाटा देश के 8 उत्तर-पूर्वी राज्यों के संकलित कर्ज से भी ज्यादा है। इतना है। जब इन कम्पनियों की वित्तीय हालत इतनी चिंताजनक थी तो यह मेरी समझ से बाहर है कि गत सरकार ने जो Financial Restructuring programme (FRP) वर्ष 2012 में लागू किया, वह मात्र 3 वर्ष के लिए ही क्यों था? वर्ष 2013 में देर से लागू की गयी FRP के तहत अप्रैल, 2015 के पश्चात बैंकों द्वारा इन DISCOMs को ऋण उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इन DISCOMs पर भारी वित्तीय संकट की स्थिति बन गयी है। इस स्थिति से उबरने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

42. इस गम्भीर वित्तीय स्थिति से DISCOMs को उबारना हमारे लिए चुनौती है तथा इस सम्बन्ध में कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है जिसमें आप सभी का सहयोग और इन सभी का सहयोग अपेक्षित होगा। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगी कि FRP के तहत प्रभावी क्रियान्वयन एवं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

monitoring के लिए एक अधिनियम पारित करना अनिवार्य था, परन्तु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा यह नहीं किया गया।

ये कभी यह सब चीजें जिनसे स्टेट सम्भालना है, उसको कर ही नहीं पाते।

अब हमें शीघ्र ही विधान सभा में Rajasthan Electricity Distribution Management Bill लाना पड़ेगा। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि राजकीय विद्युत वितरण निगम ऐसे operational व financial कदम उठाए कि उपभोक्ताओं को reliable और adequate विद्युत आपूर्ति हो और विद्युत वितरण निगमों का भी financial turnaround हो। दोनों साथ हों।

इन विषम परिस्थितियों के बाद भी राज्य सरकार द्वारा पिछले 14 माह में गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करायी गयी है और आगे भी उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाएंगे।

43. फागी व अंता में GSS की स्थापना कर राजस्थान देश का एक मात्र ऐसा राज्य हो गया है जिसने 765 के.वी. प्रसारण तंत्र की स्थापना की है। और यह बहुत बड़ी बात है, 765 के.वी. प्रसारण तंत्र की स्थापना की है जो कहीं नहीं है।

प्रसारण तंत्र के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में चित्तौड़गढ़ में 400 के.वी. का एक ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किया जाएगा। साथ ही 220 के.वी. के 6 तथा 132 के.वी. के 16 ग्रिड सब-स्टेशन भी स्थापित किये जाएंगे। 400 के.वी. का एक ग्रिड सब-स्टेशन उदयपुर में तथा जोधपुर से उदयपुर तक 400 के.वी. की नई लाइन का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

44. राज्य में वर्ष 2015-16 में वितरण तंत्र को सुदृढ़ व विकसित करने हेतु 33 के.वी. के 200 नये सब-स्टेशन स्थापित किये जाएंगे।

45. दिसम्बर, 2013 से आज तक किसानों को 34 हजार से अधिक कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं। वर्ष 2015-16 में भी 40 हजार कृषि कनेक्शन जारी किये जाएंगे।

46. राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 816 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, हनुमानगढ़ तथा बाड़मेर जिले में 1 हजार 864 ढाणियों का विद्युतीकरण एवं 14 हजार 578 ढाणियों में सघन विद्युतीकरण कर 5 लाख 40 हजार विद्युत

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कनेक्शन दिये जाएंगे। इससे 1 लाख 60 हजार बीपीएल परिवार लाभान्वित होंगे।

47. उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिए जयपुर, अजमेर व जोधपुर डिस्काम में centralised call centre आरम्भ किये जाएंगे। इन centres की स्थापना के साथ पूरे राज्य में ऊर्जा क्षेत्र की शिकायतों के निवारण की केन्द्रीकृत व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी।

48. घरेलू लाइटिंग में बिजली बचत हेतु LED के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए ESCO Model योजना प्रारम्भ की जाएगी।

49. राज्य में सौर ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नयी सौर ऊर्जा नीति, 2014 जारी की गयी है| इस नीति की सफलता इस बात से आंकी जा सकती है कि नीति लागू होने के बाद राज्य में 14 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु Sun Edison Solar Power, Azure Power एवं अन्य के साथ MoU साइन किये गये हैं तथा 26 हजार मेगावाट के सोलर पार्क विकसित करने हेतु Adani Enterprises, Reliance Power, IL&FS Ltd., Essel Infra Projects के साथ joint Venture Agreements या MoU किये गये हैं। हाल ही में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को पुरस्कृत भी किया गया है।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति

50. पर्यटन, कला एवं संस्कृति का विकास हमारी प्राथमिकता है। वर्ष 2015-16 में पर्यटन, कला एवं संस्कृति क्षेत्र के लिए 244 करोड़ 46 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमानों से 68 प्रतिशत अधिक है।

51. प्रचार-प्रसार के सभी उपलब्ध माध्यमों का समुचित उपयोग करते हुए राजस्थान को आकर्षक पर्यटक destination के रूप में प्रोजैक्ट किया जाएगा। इसके लिए 38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही देशी पर्यटकों के समक्ष राजस्थान को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करने हेतु domestic travel mart का आयोजन किया जाएगा एवं जयपुर शहर को MICE (Meetings, Incentive, Conference and Exhibitions) destination के रूप में विकसित किया जाएगा।

52. राज्य के पर्यटन स्थलों के रख-रखाव के अभाव के साथ-साथ

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आवश्यक सुविधाओं जैसे approach road, signages, ramps एवं जन सुविधाओं की भी कमी है। पर्यटन विकास के लिए निम्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है:-

- मानगढ़धाम, बांसवाड़ा का विकास कार्य।
- जयसमन्द झील, उदयपुर का विकास कार्य।
- शेखावाटी क्षेत्र में हवेलियों का संरक्षण एवं आधारभूत सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास कार्य।
- चौबुर्जा-गंगा मंदिर-जामा मस्जिद-लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर पुराना शहर, करौली एवं नक्की झील, माउंट आबू के चारों तरफ के प्रमुख मार्ग तथा दरगाह व निकट के क्षेत्र King Edward Memorial, अजमेर में हैरिटेज walk way का विकास कार्य।
- पर्यटन स्थल काकूनी व भंडदेवरा, जिला बारां का विकास कार्य।
- गावड़ी तालब, झालावाड़ का सौंदर्यकरण एवं झालावाड़ जिले में कोल्वी बिंदायका एवं झालरापाटन में चंद्रावतजी की बावड़ी के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के कार्य।
- जैसलमेर में स्थित कुलधारा गांव में 13वीं शताब्दी के अवशेष के restoration and preservation के साथ-साथ अन्य विकास कार्य।
- जैसलमेर के सोनार किले का पुनरुद्धार कार्य करवाया जाएगा।
- आगामी वर्ष में पर्यटन स्थल के विकास कार्यों के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

53. प्रदेश की अमूल्य धरोहर का संरक्षण करने हेतु वर्ष 2015-16 में 20 करोड़ रुपये की लागत से निम्न कार्य करवाये जाएंगे:-

- अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, जोधपुर, पाली, बीकानेर, सीकर एवं जैसलमेर के राजकीय संग्रहालयों के विकास कार्य।
- हाड़ौती पैनोरमा जिला बारां करणीमाता पैनोरमा, जिला बीकानेर, संत सुंदरदास पैनोरमा, जिला दौसा, लोक देवता रामदेवजी की पैनोरमा, जिला जैसलमेर तथा लोक देवता पीपाजी पैनोरमा, जिला झालावाड़ का कार्य।
- स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा सुगाली माता मूर्ति सहित, आउवा, जिला पाली एवं शौर्य उद्यान, जिला झुंझुनूं के विकास कार्य।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

देवस्थान

54. गत वर्ष स्वीकृत किये गये कार्यों को जारी रखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु 20 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न मंदिरों की मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य करवाये जाएंगे।

वन

55. पर्यटन सीजन में रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में निर्धारित carrying capacity से कई गुणा अधिक पर्यटक भ्रमण हेतु आते हैं। बढ़ते हुए पर्यटक दबाव के दृष्टिगत रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र आमली वन खंड में एक टाइगर सफारी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

56. उदयपुर में एक नया बायोलोजिकल पार्क तैयार हो चुका है। साथ ही जयपुर और जोधपुर में भी एक-एक बायोलोजिकल पार्क का कार्य प्रगति पर है। अब मैं बीकानेर में 25 करोड़ रुपये की लागत से बीछवाल बायोलोजिकल पार्क की स्थापना करने की घोषणा करती हूं।

57. गत बजट में चूरू nature park बनाने की घोषणा की गयी थी, जिसके लिए 7 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवायी जाएगी।

58. जयपुर-पुष्कर बाई-पास मुख्य मार्ग पर 20 हैक्टेयर क्षेत्र में हर्बल गार्डन तथा वन खंड नोलक्खा, जिला झालावाड़ में स्मृति वन विकसित किया जाएगा। इन कार्यों पर 2 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

59. वन क्षेत्र के निकट रहने वाले लोगों के विकास, उनकी वनों पर निर्भरता कम करने, रोजगार उपलब्ध करवाने, वन्यजीव तथा वनों की सुरक्षा के लिए वन धन योजना, रणथम्भौर टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय मरुद्यान, जैसलमेर, माउंटआबू, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य एवं जवाई conservation reserve में pilot basis पर लागू की जाएगी। इस हेतु वर्ष 2015-16 में 7 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

60. रणथम्भौर, सरिस्का टाइगर रिजर्व तथा जवाई leopard conservation reserve की पैरीफेरी में बसे गांवों में क्रमश: 5 हजार, 5 हजार एवं 2 हजार gas connection जारी करने हेतु 2 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

निवेश एवं आर्थिक वृद्धि

उद्योग

61. गत वर्ष घोषणा के क्रम में हमने Rajasthan Investment Promo-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

tion Scheme-2014 लागू कर दी है। इस योजना में राज्य के पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों, thrust sectors यथा-ceramic, glass, डेयरी, MSME, Electronic System Design and Manufacturing, Plastic to oil Manufacturing, Power Loom, Textile पर्यटन एवं Industrial गैस क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं।

62. राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए वर्ष 2015-16 में Resurgent Rajasthan का आयोजन किया जाएगा। Resurgent Rajasthan में सहभागी उद्योगों को भूमि की तत्काल उपलब्धता हेतु land bank बन रहा है। साथ ही, Ease of doing business के तहत उद्यमियों को आवश्यक स्वीकृतियां online प्रदान करने की व्यवस्था के लिए जिला उद्योग केन्द्र व उद्योग आयुक्त कार्यालय का 3 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा।

63. अलवर जिले के टपूकड़ा क्षेत्र में Honda Corp के निर्माण संयंत्र का उदघाटन फरवरी, 2014 में किया गया था। इस उद्योग के साथ अनेक सहायक इकाइयों की स्थापना की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए होण्डा वेंडर्स के लिए औद्योगिक क्षेत्र करौली, जिला अलवर में 125 एकड़ भूमि में एक नये जोन की स्थापना की जाएगी।

64. Electronic Systems, Design and Manufacturing (ESDM) को बढ़ावा देने के लिए सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला अलवर में green field electronic manufacturing cluster के विकास हेतु लगभग 50 एकड़ भूमि आरक्षित रखी गयी है। साथ ही, IT एवं ESDM उद्योग के लिए एक dedicated Zone बनाने के लिए कलड़वास एक्सटेंशन, उदयपुर में 127 एकड़ भूमि आरक्षित रखी गयी है।

लघु उद्योग

65. पूर्व के कुछ वर्षों में medium, small and micro enterprises पर राज्य सरकार का focus कम हो गया था। इन उद्योगों से निवेश एवं रोजगार बढ़ने के साथ-साथ, नवीन entrepreneurs को भी establish होने का मौका मिलता है। इस क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए हम कुछ निम्न कदम उठाएंगे:-

- MSME Sector के लिए नयी price preference policy लायी जाएगी।
- MSME को प्रोत्साहन देने के लिए एक MSME facilitation centre विकसित किया जाएगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- IT, garment making, electronics जैसे क्षेत्रों में start-up ventures एवं budding entrepreneurs हेतु plug and play facilities व incubation centres की स्थापना की जाएगी, जिससे कि इन क्षेत्रों में ऐसे नये उद्यमियों को easy entry एवं exit की सुविधा मिल सके। इसके तहत राजसिको की सोडाला स्थित भूमि पर समस्त सुविधायुक्त परिसर विकसित किया जाएगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा राजसिको को 8 करोड़ 50 लाख रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- खादी क्षेत्र में design development, product upgradation तथा marketing support के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
- लघु, खादी एवं ग्राम उद्योग के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा समर्थित अनेक संस्थाओं के कार्यों में over lapping है। अत: इन संस्थाओं की समीक्षा कर restructuring की जाएगी।
- Common EffluentTreatment Plant की स्थापना तथा प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा legal framework बनाया जाएगा। साथ ही, पाली में वर्तमान में स्थापित CETP को zero liquid discharge plant में परिवर्तित करने का कार्य करवाया जाएगा।
- Indian Institute of Craft and Design, Jaipur (IICD) को राजस्थान के 10 Major Languishing Crafts के documentation के लिए 10 लाख रुपये एवं अनुसंधान सुविधाओं के लिए 20 लाख रुपये उपलब्ध करवाये जाएंगे।

66. देश की राजधानी दिल्ली सब्जियों का एक बहुत बड़ा consumption centre है। इस बाजार में राज्य की सब्जियों की आपूर्ति बढ़ाने से प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि होगी। राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत दिल्ली के निकटवर्ती राज्य के जिलों के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। आगामी वर्ष में mission के तहत इस पर 15 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

67. प्रदेश के प्रत्येक सम्भाग के एक उत्कृष्ट इंजीनियरिंग एवं MBA महाविद्यालय में युवा उद्यमियों के लिए incubators की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक incubator की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही, नये उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

3D printing एवं robotice lab की स्थापना भी की जाएगी जिसके लिए 5 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जाएंगे।

खनन

68. भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा 31 प्रधान खनिजों को अप्रधान खनिज घोषित किया गया है। अब राज्य के 98 प्रतिशत खनन पट्‌टे एवं क्वारी लाइसेंस अप्रधान खनिजों की श्रेणी में आ गये हैं जिनका विनियमन राजस्थान अप्रधान खनिज रियासत नियम, 1986 के तहत होगा। इससे आने वाले समय में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे तथा राजस्व में वृद्धि होगी।

कृषि एवं पशुपालन

कृषि एवं उद्यानिकी

69. राज्य में पंचायत समिति स्तर पर 248 एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 2 हजार 500 किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में 59 पंचायत समिति एवं 1 हजार 410 ग्राम पंचायत स्तर के शेष रहे किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण पूर्ण करा लिया जाएगा। इन केन्द्रों को क्रियाशील करने के लिए 5 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत से फर्नीचर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

70. वर्ष 2015-16 में किसान भाइयों को खरीफ व रबी मौसम में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 1 लाख मैट्रिक टन DAP का अग्रिम भंडारण किया जाएगा। जिस पर 55 करोड़ रुपये का हम व्यय करेंगे।

71. राज्य में ऐसे अनेक प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। इनके तकनीकी ज्ञान तथा अनुभव का लाभ राज्य के अन्य किसानों को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ऐसे किसानों की पहचान कर, इन्हें honorary extension workers के रूप में मान्यता दी जाएगी ताकि इनकी नि:शुल्क सेवाएं अन्य काश्तकारों को भी मिल सकें। इनके खेतों पर अन्य काश्तकारों को exposure visits भी करायी जाएगी। इस हेतु एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी।

72. समय की मांग है कि खेतों में chemicals का कम से कम प्रयोग किया जाए तथा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के तीन कृषकों को प्रति वर्ष राज्य-स्तरीय अवार्ड देने की मैं घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

73. चयनित कृषकों को नवीन कृषि तकनीक की जानकारी के लिए देश-विदेश में भ्रमण करवाया जाएगा।

74. राज्य में किसानों को उचित दरों पर सब्जियों के गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य बीज निगम द्वारा राज्य में उगायी जाने वाली सब्जियों के बीजों का उत्पादन प्रारम्भ किया जाएगा। इस हेतु आगामी वर्ष 5 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। साथ ही, बीजों के गुणवत्ता परीक्षण हेतु उदयपुर में बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बीजों के उत्पादन एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु चौमूं, जिला-जयपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, गुढ़ामालानी, जिला बाड़मेर एवं बानसूर, जिला-अलवर में नये विस्तार केन्द्र खोले जाएंगे। कोटा सम्भाग के समस्त जिलों में भी एक-एक विस्तार केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है।

75. खरीफ 2015 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही जिले के जनजाति, गैर-जनजाति बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवारों के कृषकों तथा बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों के सहरिया जनजाति, गैर-जनजाति, बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवार के 2 लाख कृषकों को संकर मक्का certified बीज के मिनीकिट्स वितरित किये जाएंगे। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

76. राज्य के पश्चिमोत्तर जिलों में जैतून की खेती की विपुल सम्भावनाओं को देखते हुए वर्ष 2015-16 में कृषकों को 200 हैक्टेयर क्षेत्र में जैतून के पौधारोपण हेतु अधिकतम 48 हजार प्रति हैक्टेयर अनुदान दिया जाएगा।

77. नागौर जिले में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

वैसे तो पहले सुनना है। ऐसे क्या? इतना बड़ा कृषि महाविद्यालय हुआ है और आठ एम.एल.एज. यहां पर बैठे हुए हैं। हां। नहीं तो सोचना पड़ेगा।

78. राज्य के 12 लाख किसानों को subsidised rates पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए राज्य की तीनों DISCOMs को वर्ष 2015-16 में कुल 6 हजार 116 करोड़ 58 लाख रुपये की tariff subsidy उपलब्ध करवायी जाएगी।

79. वर्ष 2014-15 में सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य ब्याज दर पर किसानों को फसली ऋण की व्यवस्था को यथावत रखते हुए वर्ष 2015-16 में काश्तकारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 17 हजार 500 करोड़ रुपये के फसली सहकारी ऋण वितरित किये जाएंगे। इसके लिए 370 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाये जाएंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

80. इसके साथ-साथ सहकारी बैंकों को ब्याज अनुदान हेतु 150 करोड़ रुपये भी उपलब्ध करवाये जाएंगे।

81. हमारी सरकार ने वर्ष 2014-15 में दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ काश्तकारों को वर्ष 2015-16 में भी स्टेट लैंड डवलपमेंट बैंक के माध्यम से दिया जाएगा एवं इस हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

82. वर्ष 2015-16 में 100 ग्राम सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण के लिये 10 लाख रुपये प्रति समिति कुल 10 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जाएंगे। साथ ही, पूर्व में निर्मित गोदामों की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए भी 10 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जाएंगे।

83. राज्य के किसानों को सिंचाई के लिये पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो सके, इस हेतु हमें existing बांधों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए राज्य से बाहर जा रहे excess पानी को भी रोकना होगा। राज्य में पूर्व में निर्मित परियोजनाओं की water use efficiency बढ़ाने तथा जल के समुचित उपयोग हेतु मैं निम्न प्रस्ताव करती हूं:-

- पंचायती राज संस्थानों को स्थानान्तरित तालाबों में से 35 का जीर्णोद्धार 35 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण करवाया जाएगा।
- 53 सिंचाई परियोजनाओं की bench marking study करवायी जा चुकी है। वर्ष 2015-16 में 70 अन्य सिंचाई परियोजनाओं की bench marking study करवाकर इन सभी परियोजनाओं को उनकी designed efficiency के स्तर पर लाने हेतु चरणबद्ध रूप से आवश्यक कार्य करवाये जाएंगे।
- बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, जोधपुर, जालौर, धौलपुर, करौली तथा बूंदी जिले में 90 करोड़ रुपये की लागत से 32 जलाशयों के जीर्णोद्धार के कार्य प्रारम्भ कर इनमें से 17 कार्यों को वर्ष 2015-16 में पूर्ण किया जाएगा। इस हेतु 36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही विभिन्न जिलों के 77 जलाशयों के जीर्णोद्धार कार्यों की DPR तैयार की जाएगी।
- जयपुर, भरतपुर, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जिले की 33 सिंचाई परियोजनाओं को 15 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किया जाएगा। साथ ही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, कोटा तथा जयपुर जिले के 27 बांधों एवं नहरों के जीर्णोद्धार हेतु DPR तैयार करवायी जाएगी।

- आगामी वर्ष में कोटा, बूंदी, टोंक, श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में 53 हजार 612 हैक्टेयर क्षेत्र में 118 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 40 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में इसे पूरा करवाया जाएगा।
- भीलवाड़ा जिले के जैतपुरा डैम की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य 21 करोड़ 44 लाख रुपये की लागत से करवाया जाएगा।
- बारां-गोपालपुरा तहसील-किशनगंज मध्यम सिंचाई परियोजना का पुनरुद्धार 20 करोड़ रुपये की लागत से करेंगे।
- बांसवाड़ा की माही परियोजना के विद्यमान नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण का कार्य आगामी तीन वर्षों में 110 करोड़ रुपये की लागत से।
- भविष्य में बनायी जाने वाली परियोजनाओं में स्प्रिंकलर एवं ड्रिप पद्धति से सिंचाई की अनिवार्यता लागू की जाएगी। साथ ही, पूर्व निर्मित सिंचाई परियोजनाओं में भी स्प्रिंकलर एवं ड्रिप पद्धति लागू करने की कार्य योजना तैयार की जाएगी।

84. जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजस्थान में पूरे देश का मात्र एक प्रतिशत जल उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में सतही जल की एक-एक बूंद-बूंद संग्रहण करना हमारा नैतिक दायित्व है। इसी क्रम में मैं निम्न घोषणाएं करती हूं:-

- वर्षा जल, सतही जल, भू-जल तथा soil moisture पर आधारित four water concept के तहत साबरमती, लूणी, west बनास तथा सूकली बेसिन में वर्ष 2015-16 में 115 माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं को 300 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण कर 5 हजार 265 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी।
- वर्ष 2014-15 में बांसवाड़ा जिले में माही नदी की सहायक बुनाद व झालावाड़ जिले में चम्बल की सहायक आहू के बेसिन में 263 Minor irrigation tanks के catchment क्षेत्रफल 1 लाख 33 हजार 491

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हैक्टेयर में four water concept के तहत कार्य हाथ में लिया गया है। वर्ष 2015-16 में इस कार्य के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। जलग्रहण विकास विभाग द्वारा कराये जा रहे इस कार्य के साथ अन्य विभाग द्वारा कराये जा रहे four water concept आधारित कार्य भी Rajasthan River Basin Authority की देखरेख में कराये जाएंगे।

- झालावाड़ जिले में गुराड़िया एवं रोशनबाड़ी लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण 100 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं से झालरापाटन तथा पिड़ावा तहसील के 16 गांवों की 3 हजार 109 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- चूरू जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर प्रणाली के शेष सीमित क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई कार्य 70 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाएगा।

85. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में शेष रहे 11 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र तथा नर्मदा वृहत् सिंचाई नहर परियोजना में शेष रहे 7 हजार हैक्टेयर क्षेत्र को खोला जाकर इन परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। इस क्षेत्र में भी स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई लागू की जाएगी।

86. टोंक जिले की ढीबरू सागर, झालावाड़ जिले की पीपलाद मध्यम सिंचाई परियोजना, जयपुर जिले की मामतोरी, चित्तौड़गढ़ जिले की सांकल खेड़ा, मालादेवी एवं धाधड़ा, प्रतापगढ़ जिले की सिरसी का नाका तथा बांसवाड़ा जिले की भीखा भाई सागवाड़ा नहर लघु सिंचाई परियोजनाओं को इस वर्ष पूर्ण किया जाएगा। जिससे 8 हजार 71 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

पशुपालन एवं डेयरी

87. प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन की अहम भूमिका है। राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए मैं निम्न घोषणाएं करती हूं:-

- 200 उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 600 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। इन पर 13 करोड़ 17 लाख रुपये का व्यय होगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- 26 तहसीलों में पशुधन चल आरोग्य इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इस पर अनुमानित व्यय 54 लाख रुपये होगा।

88. जयपुर शहर में पांच बत्ती के पास बहूद्देशीय पशु चिकित्सालय संचालित है। वर्तमान में यह क्षेत्र अत्यधिक भीड़भाड़ वाला हो गया है तथा बड़े पशुओं को इस चिकित्सालय पर लाना कठिन हो गया है। अत: इस भूमि का redevelopment कर इससे प्राप्त आय से जयपुर के बाहरी क्षेत्र में आवश्यकतानुसार एक से अधिक उच्चस्तरीय बहूद्देशीय पशु चिकित्सालय निर्मित किये जाएंगे।

89. पशु चिकित्सालय भवनों में काफी लम्बे समय से मरम्मत एवं पुताई का कार्य नहीं होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये चिकित्सालय स्वयं ही बीमार हैं। इन चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था की भी समस्या है। अत: वर्ष 2015-16 में 1 हजार संस्थाओं में मरम्मत, पुताई, सफाई व्यवस्था हेतु 3 करोड़ 88 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

90. पशुपालन गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु प्रदेश स्तर पर प्रति वर्ष expo एवं सम्भाग स्तर पर पशु-प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में पशुपालकों के साथ-साथ राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाएं एवं विभिन्न उत्पादक कम्पनियां भाग लेंगी।

91. पशुपालन शिक्षा के विस्तार के लिए Phased manner में निम्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं:-

- Post graduate institute of Veterinary Education and Research, जयपुर में स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। इस पर 5 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- डग, जिला झालावाड़ में 2 करोड़ रुपये का व्यय कर Malvi Cattle Breeding Farm की स्थापना की जाएगी एवं वेटसिटी डिप्लोमा कोर्स भी प्रारम्भ किया जाएगा।

92. Camel Milk Research के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से राज्य सरकार तथा National Institute of Animal Bio-Technology द्वारा Camel Genetics तथा Immunology पर केन्द्रित Research परियोजना प्रस्ताव तैयार किये जाएंगे। इसके साथ-साथ आगामी वर्ष में Camel Genetics & Immunology पर Department of Bio-Technology, भारत सरकार के सहयोग से परियोजना प्रारम्भ की जाएगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास

93. प्रदेश के समग्र विकास के साथ-साथ समावेशी विकास होना अति आवश्यक है। इसी क्रम में मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, जनजाति एवं अल्पसंख्यक विभाग के लिए इस वर्ष 7 हजार 854 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित कर रही हूं, जो कि संशोधित अनुमानों के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक है। साथ ही इनके विकास हेतु मैं निम्न घोषणाएं कर रही हूं:-

- राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित 200 छात्रावासों एवं 17 आवासीय विद्यालयों में आगामी वर्षों में सोलर स्ट्रीट लाइट एवं होम लाइट सिस्टम की स्थापना।
- उक्त छात्रावासों के रख-रखाव एवं उनमें अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु आगामी वर्ष में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सम्बल ग्राम विकास योजना का अन्य योजनाओं के साथ convergence करते हुए 4 हजार 110 गांवों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करवाये जाएंगे। इस हेतु वर्ष 2015-16 में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के तहत दिया जाने वाला मुआवजा पीड़ित को समय पर मिले तथा इसकी Tracking करने के लिये एक Web portal बनाया जाएगा और भविष्य में इसे भामाशाह योजना से जोड़ा जाएगा।
- राज्य में सुविधायुक्त गैर-सरकारी वृद्धाश्रमों को मान्यता प्रदान करने एवं संचालन के लिये नियमों में प्रावधान कर इनकी रेटिंग की जाएगी।
- नि:शक्तजनों की सुविधार्थ 5 करोड़ 49 लाख रुपये की लागत से राजकीय भवनों में ramps निर्माण किये जाएंगे।
- नि:शक्त विद्यार्थियों के लिये 99 अधिकृत संस्थाओं द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों के लिये आगामी वर्ष में 7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2014-15 में पालनहार योजना से 1 लाख 26 हजार से अधिक

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बच्चों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015-16 में भी इस योजना के लिए 171 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- हरियाली-जिला जालौर एवं धनबाड़ा जिला झालावाड़ में निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों के आवासीय विद्यालयों में कला संकाय के साथ-साथ विज्ञान संकाय भी खोला जाएगा।
- वर्ष 2015-16 में 901 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे। इन केन्द्रों के संचालन पर 10 करोड़ 40 लाख रुपये का वार्षिक व्यय होगा।
- गुजरात की padkar योजना की तर्ज पर जयपुर में शुरू किये गये बालिकाओं के लिये self defense programme को आगामी वर्ष में 5 करोड़ रुपये का व्यय कर अन्य सभी जिलों में लागू किया जाएगा।
- वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र में 100 नये मां-बाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे। इन पर लगभग 3 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।
- जनजाति उपयोजना एवं सहरिया क्षेत्र में 1 हजार 339 मां-बाड़ी डे-केयर सेंटरों पर 6 साल से 12 साल तक के 40 हजार 170 बच्चों को पोषाहार प्रबन्ध के लिये 75 लाख रुपये का व्यय कर गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाये जाएंगे।
- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के पशुपालकों का दूध एकत्रित करने हेतु सम्बन्धित डेयरियों को 3 करोड़ रुपये की लागत से 50 बल्क कूलर उपलब्ध करवाये जाएंगे।
- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में बालिकाओं के लिये वर्तमान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर एवं आबू रोड में संचालित 4 आश्रम छात्रावासों को बालिका खेल छात्रावास में परिवर्तित किया जाएगा एवं प्रतापगढ़ में एक नवीन बालिका खेल छात्रावास प्रारम्भ किया जाएगा। इन छात्रावासों में गुणवत्तापूर्ण खेल प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक लगाये जाएंगे। इस पर 1 करोड़ 71 लाख रुपये तक व्यय किया जाएगा।
- वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यक बहुल चयनित ब्लाक्स में 44 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से निम्न infrastructure development के कार्य करवाये जाएंगे:-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- जिला जैसलमेर के सांकड़ा ब्लाक में 10 एवं सम ब्लाक में 4 स्वास्थ्य उप केन्द्र के भवन का निर्माण।
- निकच एवं उंटवाल-रामगढ़, खिदरपुर, चौपानकी इंदौर और करौली-तिजारा जिला अलवर एवं झाड़पा-चौहटन जिला बाड़मेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण।
- किशनगढ़ बास, लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर, नगर जिला भरतपुर, सेड़वा(चौहटन) जिला बाड़मेर, हनुमानगढ़ व टोंक में आई टी आई के भवन का निर्माण।
- तिजारा-अलवर में राजकीय कला महाविद्यालय के भवन विस्तार का कार्य।
- जोधपुर, कोटा, रामगढ़-अलवर एवं फतेहपुर-सीकर में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिये 4 नये छात्रावास भवनों का निर्माण 9 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
- मदरसों में शिक्षा सहयोगियों को मानदेय, शिक्षा सामग्री तथा कम्प्यूटर इत्यादि की सुविधाओं के लिये मदरसा बोर्ड को 63 करोड़ रुपये दिये जाने का प्रावधान।

युवा मामले एवं खेल

94. राज्य के अधिक से अधिक युवा खेल से जुडें तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिये राज्य में खिलाड़ियों को निम्न सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी:-

- सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 8 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही, प्रदेश के अन्य स्टेडियमों के लिए भी विकास कार्य एवं संधारण के लिये 19 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- तीरंदाजी एवं शूटिंग को बढ़ावा देने के लिये राज्य में नेशनल एकेडमी फार आर्चरी एण्ड शूटिंग की स्थापना की जाएगी।
- राज्य में बालकों के लिये हाकी तथा बास्केटबाल हेतु नयी खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी।
- खेल संघों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के दैनिक

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

भत्ते मे बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान में राज्य पर दैनिक भत्ता 200 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 300 रुपये है जिसे बढ़ाकर क्रमाश: 300 रुपये एवं 500 रूपये किया जाना प्रस्तावित है। इससे 1 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

- राज्य में चयनित 6 खेलों में राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु आगामी वर्ष में 70 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
- क्रीड़ा परिषद के पास 119 विशेषज्ञ खेल प्रशिक्षक उपलब्ध हैं जो पर्याप्त नहीं हैं, अत: अनुबंध पर अल्पकालिक प्रशिक्षण नियुक्त कर प्रशिक्षण नियुक्त कर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी जिस पर 2 करोड़ रूपये का वित्तीय भार पड़ेगा।

- राज्य में Archery, Shooting, Riding, Basket Ball एवं Hockey में प्रतिभावान खिलाड़ियों को सही उम्र पर खोजने के लिये इन खेलों के लिये टैलेंट सर्च योजना शीघ्र ही लागू की जाएगी। चुने हुए खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा खेल छात्रवृत्ति भी दी जाएगी।

- भारत सरकार द्वारा देय राशि के अतिरिक्त समर व विंटर ओलम्पिक गेम्स विजेता को स्वर्ण पदक प्राप्त होने पर 75 लाख रुपये, रजत पदक प्राप्त होने पर 50 लाख रुपये तथा कांस्य पदक प्राप्त होने पर 30 लाख रुपये दिये जाएंगे। इसी प्रकार एशियन गेम्स तथा कामनवैल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता को 30 लाख रुपये, रजत पदक विजेता को 20 लाख रुपये तथा कांस्य पदक विजेता को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इसके साथ-साथ ऐसे पदक विजेताओं को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 220 वर्ग मीटर के आवासीय भूखण्ड का आबंटन नि:शुल्क किया जाएगा। पदक विजेता खिलाड़ियों में से स्वर्ण पदक विजेता को क्लास टू तथा रजत व कांस्य विजेता को क्लास थ्री के पदों पर पुलिस विभाग तथा खेलकूद विभाग में उपरोक्त पदों की पात्रता पूर्ण होने पर नौकरी भी प्रदान की जाएगी।

- Sports Complex जिला उदयपुर में 14 करोड़ रुपये की लागत से Indoor Stadium का निर्माण करवाया जाएगा।

95. राज्य में संचालित योग ट्रेनिंग सेंटर्स के Accreditation की policy

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

तैयार की जा रही है। साथ ही Accreditation rating अनुसार इनको one time grant देने की योजना बनायी जाएगी।

शिक्षा

96. वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में लगभग 3 लाख 34 हजार शिक्षकों की उपलब्धता के बावजूद भी राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर ठीक नहीं है। Annual Status of Education Report-2014 के अनुसार राज्य के राजकीय विद्यालयों की पांचवी कक्षा में अध्ययनरत आधे से अधिक विद्यालयों को दूसरी कक्षा के स्तर का भी ज्ञान नहीं है। इस स्थिति में सुधार के लिए उपलब्ध संसाधनों के consolidation और समुचित उपयोग की आवश्यकता है। मैं इस वर्ष स्कूल शिक्षा के लिये 21 हजार 788 करोड़ 97 लाख रुपये का प्रावधान कर रही हूं जो कि वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमानों से 16 प्रतिशत अधिक है।

97. प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु हमने इस वर्ष 5 हजार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है। हमारे इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की transition rate बढ़ेगी। इस वर्ष नयी ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, अतः मैं घोषणा करती हूं कि शेष रही 657 ग्राम पंचायतों में जहां निजी अथवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, phased manner में चयनित स्कूलों को 12वीं कक्षा तक क्रमोन्नत किया जाएगा। शैक्षिक गुणवत्ता एवं आधारभूत सुविधाओं के मापदण्ड तय कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की मैं घोषणा करती हूं।

98. वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में 63 माडल स्कूलों हेतु भारत सरकार द्वारा प्रति स्कूल 3 करोड़ 2 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे। इकाई लागत में वृद्धि होने के कारण अभी तक इनका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। गत सरकार द्वारा इन विद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त बजट उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण राज्य के विद्यार्थी इन माडल स्कूलों से वंचित रहे। अगले तीन वर्षों में 237 करोड़ 90 लाख रुपये का अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाकर इन माडल स्कूलों का निर्माण कराया जाएगा।

99. इसी प्रकार 71 माडल स्कूल ऐसे हैं जिनका निर्माण कार्य पूर्व में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

करवाया गया है। परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी गयी राशि से इन विद्यालयों के भवनों का निर्माण केन्द्रीय विद्यालयों के स्तर के अनुरूप किया जाना सम्भव नहीं है। इन भवनों का निर्माण केन्द्रीय विद्यालयों के अनुरूप करने के लिये राज्य सरकार द्वारा आगामी तीन वर्षों में 200 करोड़ 66 लाख रुपये का अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाया जाएगा।

100. वर्तमान में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लाकों में से 125 ब्लाकों में शारदे बालिका छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में 24 और छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारम्भ किया जाएगा। शेष 37 शारदे बालिका छात्रावासों का भी निर्माण कार्य वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ किया जाएगा। आगामी वर्ष में इसके लिये 48 करोड़ 45 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इन छात्रावासों में भोजन मद में 850 रुपये प्रति माह प्रति बालिका की राशि को बढ़ाकर हमारी सरकार द्वारा जनवरी, 2015 से 1 हजार 350 रुपये किया गया था जिसे अब अप्रैल, 2015 से 1 हजार 500 रुपये किया गया है।

101. वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साइकिल वितरण योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना को वर्ष 2015-16 में भी संचालित किये जाने की मैं घोषणा करती हूं। इस हेतु 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

102. ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से राजकीय विद्यालय में अध्ययन करने वाली कक्षा 9 से 12 की ऐसी बालिकाओं को जिनको साइकिल योजना का लाभ नहीं मिला है, ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा दी जा रही है। वर्ष 2015-16 से पंचायत समिति स्तर पर संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूलों में उसी पंचायत समिति की बालिकाओं को भी ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा दिये जाने की घोषणा करती हूं।

103. प्रदेश के सभी जिलों में राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं प्रभावी मानिटरिंग के लिये District School Boards की स्थापना की जाएगी। इन Advisory Boards में अभिभावक, शिक्षक, civil society, जन प्रतिनिधिगण और जिला प्रशासन का प्रतिनिधित्व होगा। हर वर्ष प्रत्येक जिले के बोर्ड द्वारा जिले में शिक्षा के स्तर और शिक्षा में हुए सुधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ जिलों में आपसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

104. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा [NTSE] में चयनित राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दिये जाने की घोषणा की गयी थी। अब राज्य के निजी विद्यालयों के छात्रों के NTSE में चयनित होने पर उनको एकमुश्त 10 हजार रुपये पुरस्कार स्वरूप दिये जाने की घोषणा करती हूं।

105. District Institute of Education and Training का networking कर इनमें e-training की व्यवस्था प्रारम्भ की जाएगी। अध्यापकों को नवीन तकनीक से गुणात्मक प्रशिक्षण दिलाने हेतु इनमें वीडियो कांफ्रेंसिंग, डिजिटल पुस्तकालय एवं e-teaching की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी। इस हेतु आगामी वर्ष में 10 लाख रुपये प्रति केन्द्र उपलब्ध करवाये जाएंगे।

106. झुन्झुनूं जिले में सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु नि:शुल्क भूमि आबंटन करने का निर्णय ले लिया गया है और इस वित्तीय वर्ष में स्कूल के भवन निर्माण और अन्य संसाधन हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध करवायी जाएगी।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

107. राज्य के सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार कटिबद्ध है। वर्तमान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में accessibility की कमी के साथ-साथ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं gender gap की भी समस्या है। इस क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा State Higher Education Development Plan तैयार कर आगामी 8 वर्षों में चरणबद्ध रूप से विकास किया जाएगा। इस योजना के तहत नये विश्वविद्यालय, नये professional college, माडल महाविद्यालय खोलने के साथ-साथ विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को infrastructure grant दी जाएगी। उच्च शिक्षा में research, innovation, faculty improvements, curriculum advancement और management information system creation पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस योजना की क्रियान्विति के बाद राज्य में उच्च शिक्षा में अपेक्षाकृत सुधार होगा।

108. राज्य के 32 महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु आगामी वर्ष में 33 करोड़ 93 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

109. राज्य में science and humanities research foundation की स्थापना की जाएगी। यह foundation राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

के विद्यार्थियों द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान में मदद करेगा। इसकी योजना पृथक् से जारी की जाएगी।

110. वर्तमान में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में तथा देवनारायण योजना के अन्तर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण योजना लागू है। अब मैं घोषणा करती हूं कि प्रत्येक जिले में राजकीय विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक अध्ययन पूरा कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की 12वीं कक्षा की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली प्रथम 50 छात्राओं, कुल 1650 छात्राओं को भी स्कूटी दी जाएगी।

111. आहोर जिला जालौर और डेगाना, जिला नागौर में नवीन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

चिकित्सा और स्वास्थ्य

112. चिकित्सा स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2015-16 में 8684 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है जो वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान से 28 प्रतिशत अधिक है।

113. राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी अस्पताल, CHCs, PHCs आदि खोलने तथा इनकी buildings बनाने पर ही ज्यादा emphasis रहा है। इन चिकित्सालयों में उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इस हेतु वर्ष 2015-16 के लिए निम्न उपायों की घोषणा करती हूं:-

- राज्य के चिकित्सालयों के वृहत् मरम्मत के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- चिकित्सालयों हेतु आधुनिक उपकरण के लिए 8 करोड़ 75 लाख रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे।
- इस वर्ष राज्य के 150 से अधिक शैय्याओं वाले 8 चिकित्सालय में नये ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 4 करोड़ 12 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- 9 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से सात नयी Blood Component Separation units खोली जाएंगी।
- इन चिकित्सालयों में 100 नयी mortuaries के लिए 22 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे। यह बहुत जरूरी था और मैं समझती हूं कि

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इसलिए हमने चला कर 100 नयी मोर्चरीज के लिए इतना पैसा रखा है।

- CHC आबूरोड जिला सिरोही का विस्तार कार्य 3 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाएगा।
- बीकानेर के जनाना चिकित्सालय के अधूरे पड़े नवीन भवन का निर्माण कार्य 10 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किया जाएगा।
- दौसा जिला अस्पताल को 150 शैय्याओं से 250 शैय्याओं में क्रमोन्नत करना है।
- जिला अस्पताल बारां का भी सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा।
- राज्य के स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध उपकरणों की देखरेख के लिए inventory management system एक करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा।

114. बच्चे हमारे प्रदेश और देश का भविष्य हैं। राज्य में MMR and IMR में कमी लाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। हाल ही में हमारी सरकार ने सिरोही और झालावाड़ जिले में मातृ-शिशु स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए टाटा ट्रस्ट और अन्तरा foundation के साथ MoU किया है। इसके अतिरिक्त निम्न कदम भी उठाये जाएंगे:-

- राज्य में प्रति वर्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसूति नियोजन, मातृत्व, शिशु स्वास्थ्य एवं आशा दिवस मनाये जाएंगे।
- राज्य में 1665 प्रसूति केन्द्र स्वीकृत हैं, इनमें से 100 केन्द्रों का चयन कर इन्हें और अधिक सुविधायुक्त बनाया जाएगा। साथ ही 400 अन्य प्रसूति केन्द्र विकसित किये जाएंगे।
- राज्य में हजारों अतिकुपोषित बच्चे कुपोषित उपचार केन्द्र के दायरे से बाहर हैं। इसके लिए community based management of acute malnutrition कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत phased manner में 13 उच्च प्राथमिकता वाले जिले तथा जनजातीय जिलों के 10 हजार बच्चों को जोड़ा जाएगा जिस पर 10 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- बारां, डूंगरपुर, धौलपुर, शाहबाद एवं उदयपुर में संचालित कुपोषित उपचार केन्द्रों पर 3 करोड़ रुपये का व्यय कर प्रति केन्द्र, शैय्याओं की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 की जाएगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- नवजात शिशुओं को दूध के लिए 10 जिला चिकित्सालयों पर mother milk bank की स्थापना की जाएगी जिस पर 10 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- अवांछित एवं लावारिस बच्चों के लिए जिला, उप-जिला, सैटेलाइट चिकित्सालयों में 65 पालनागृहों का निर्माण 65 लाख रुपये की लागत से करवाया जाएगा।
- प्रत्येक सम्भाग के एक जिले में प्रायोगिक तौर पर ANM को Tablet PC उपलब्ध कराये जाएंगे जिससे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्र की न-केवल प्रभावी Monitoring हो सके, बल्कि विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में IEC भी की जा सके।

115. प्रदेश की जनता को हम उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सकें, इसके लिए हम निजी जन-सहभागिता का भी स्वागत करते हैं। राज्य सरकार इस क्षेत्र में निजी जन-सहभागिता के आधार पर निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराएगी:-

- देश के चिकित्सा महाविद्यालय, निजी चिकित्सालय, Trusts तथा general practitioners द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में PHCs चलाये जाने के लिए Run a PHC योजना लागू की जाएगी। इसके तहत existing PHCs को इन संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा तथा सरकार द्वारा इन्हें एकमुश्त राशि उपलब्ध करवायी जाएगी।

- गुर्दे के मरीजों को dialysis सुविधा सम्बन्धित जिले में उपलब्ध कराने हेतु राज्य के जिला अस्पतालों में haemodialysis सुविधा संचालित करायी जाएगी। जिला अस्पतालों में आवश्यक dialysis उपकरण के लिए 8 करोड़ 64 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

- 21 जिलों पर स्थापित CT Scan मशीन का संचालन तथा शेष जिलों में CT Scan मशीन तथा MRI मशीन का संचालन किया जाएगा।

- राज्य के 17 जिला चिकित्सालयों पर cancer care सुविधा संचालित की जाएगी।

- नि:संतान दंपित्तयों के इलाज के लिए जिला चिकित्सालयों पर IVF Centre संचालित किये जाएंगे।

116. फल और सब्जी में heavy metal pesticide की जांच हेतु मुख्य

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

खाद्य प्रयोगशाला, जयपुर का 7 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

117. ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली Adolescent बालिकाओं की शिक्षा के साथ-साथ उनके स्वास्थय पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसी बालिकाओं के health and hygiene के लिए एक विशेष योजना लायी जाएगी।

118. प्रत्येक संभाग के एक जिले में pilot basis पर सभी 'आशा' को Tablet PC के माध्यम से data entry करने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रयोग सफल होने पर इसे सभी जिलों में लागू किया जाएगा। इसके लिए पृथक से प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी।

119. राजस्थान में 'Dial an ambulance' सेवा शुरू की जाएगी। इसमें 104, 108 एम्बुलेंस सेवा तथा base एम्बुलेंस को 104 मेडिकल advisory सेवा के साथ एकीकृत कर उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

120. वर्ष 2014-15 में 10 योग और प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों का भवन निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में 10 और केन्द्रों हेतु भवन निर्माण करवाये जाने की मैं घोषणा करती हूं। साथ ही, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के attached आयुर्वेद महाविद्यालय में Bachelor of Ayurved Medicine and Surgery की सीटों की संख्या 60 से बढ़ा कर 100 की जाएंगी।

121. नि:शुल्क दवा से पहले और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है नीरोगी काया। Universalization of Health Care की दिशा में नयी सोच के साथ प्रदेश में दिसम्बर से मार्च तक राज्य स्तर पर 'आरोग्य राजस्थान अभियान' चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत पंचायतवार कैम्प्स लगा कर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर भामाशाह योजना से जोड़ते हुए health cards बनाये जाएंगे जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी Health Information Network भी तैयार किया जा सकेगा। इस डेटाबेस के आधार पर गम्भीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज की व्यवस्था भी की जाएगी। And this will be a huge data base, आगे चल कर provide the State a huge data base.

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चिकित्सा शिक्षा

122. राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों का विस्तार बिना पूर्व planning के ad hoc basis पर होता आया है। समय के साथ इन चिकित्सालयों में नये वार्ड, नये विभाग भी जुड़ते रहे हैं। अत: इन चिकित्सालयों की future planning के लिए मास्टर प्लान तैयार किये जाएंगे।

123. अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय को छोड़ राज्य के अन्य सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में multi disciplinary research lab की स्थापना की जाएगी। सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय की लैब को National Board for Testing and Calibration Laboratories मानकों के अनुरूप क्रमोन्नत किया जाएगा।

124. हाल ही में राज्य में पहला Organ Transplant किया गया है। मैं इस Transplant से जुड़े सभी चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ को बधाई देना चाहती हूं। और, इनकों तो बधाई देना चाहती हूं परन्तु साथ में Organ donate करने वालों के अभिभावकों और परिजनों के इस त्याग की सराहना करती हूं। Organ Transplant की सुविधा को अधिक व्यापक बनाने के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध अस्पताल के अन्तर्गत Centre of Organ Transplant की स्थापना की मैं घोषणा करती हूं।

125. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के सम्बद्ध चिकित्सालयों में वर्तमान में काटेज वार्डो की कमी के साथ इनमें सुधार की भी आवश्यकता है। अत: उच्च स्तर की गुणवत्ता युक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों में भूमि की उपलब्धता को देखते हुए निजी जन-सहभागिता के आधार पर आधुनिक सुविधायुक्त बहुमंजिले काटेज वार्ड बनाये जाएंगे।

126. भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उदयपुर की super speciality wing में underground parking की सुविधा उपलब्ध करने के लिए 9 करोड़ रुपये के प्रावधान की मैं घोषणा करती हूं।

127. चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में निजी जन-सहभागिता के आधार पर बायो मेडिकल अकादमी की स्थापना की जाएगी जहां युवाओं को dialysis technician एवं नर्सेज के skill development कार्यक्रम उपलब्ध करवाये जाएंगे। इसके साथ-साथ रोगियों को affordable price पर dialysis की सेवा भी उपलब्ध करवायी जाएगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

128. विभाग की आवश्यकतानुसार private partners की preference के आधार पर चयनित जिलों में निजी जन-सहभागिता के माध्यम से नर्सिंग कालेज की स्थापना भी की जाएगी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

129. वर्ष 2012-13 में अलवर जिले में pilot basis पर गेहूं की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना लागू की गयी है। इसकी सफलता को देखते हुए वर्ष 2016 में रबी विपणन हेतु जयपुर और भरतपुर संभाग के समस्त जिलों में गेहूं की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना लागू करने की मैं घोषणा करती हूं।

130. खाद्य सुरक्षा के तहत 2015-16 में 250 करोड़ 76 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

131. उपभोक्ता जागरूकता के कारण राज्य में उपभोक्ता विवादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अत: राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता मंचों के सुदृढ़ीकरण का कार्य 16 करोड़ 66 लाख रुपये की लागत से किया जाना प्रस्तावित है।

132. उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण एक ही छत के नीचे हो, इस हेतु उपभोक्ता मामले विभाग के भवन का निर्माण करवाया जाएगा।

133. वर्तमान में weight and measures उद्योग विभाग के अधीन है जबकि यह कार्य उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित है। अत: weight and measures सम्बन्धी कार्यों को उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन स्थानान्तरित किये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

134. कुपोषण के प्रभावी रोकथाम के लिए micro nutrients यथा Na [Sodium] Fe [Iron] EDTA [Erhylene Diamine Tetra Acetate Trihydrate, Folic Acid व विटामिन बी 12 से fortified आटा, विटामिन ए व डी से fortified खाद्य तेल एवं आयरन तथा आयोडिन युक्त double fortified नमक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाएगा।

कौशल राजस्थान और रोजगार

श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार

135. गत बजट भाषण में मैंने आगामी पांच वर्षों में सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों सहित राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, ITI, RMoL, रोजगार मेले, आर्मी भर्ती के माध्यम से लगभग 15 लाख से

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाने का उल्लेख किया था।

136. उद्योगों की आवश्यकता को देखते हुए हमने 33 High Growth आर्थिक क्षेत्रों में sector specific schemes लागू की हैं। Toyota, Samsung, Caterpillar व अन्य उद्योगों के साथ ITI में उद्योग आधारित कार्यक्रम प्रारम्भ किये जा रहे हैं। ITEES सिंगापुर के साथ उदयपुर राजकीय ITI को hospitality क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

137. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत देश का पहला केन्द्र उदयपुर में प्रारम्भ किया गया है। Bombay Stock Exchange Institute के साथ वित्तीय क्षेत्र में Center of Excellence स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।

138. Employment Linked Skill Training Programme के तहत एक प्रभावी convergence model लागू किया गया है जिससे हम विभिन्न योजनाओं व विभागों के कौशल विकास component को उक्त योजना के माध्यम से क्रियान्वित कर पाये हैं। Apprenticeship Act में किये गये सुधारों से युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सकेंगे। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु श्रम और नियोजन विभाग का कुल प्रावधान वर्ष 2015-16 में 802 करोड़ 47 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है जो कि वर्ष वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान से 22 प्रतिशत अधिक है।

139. राज्य के काफी संख्या में श्रमिक आजीविका के लिए राज्य से बाहर जाते हैं। देश-विदेश में निवास करने वाले श्रमिकों की समस्या के समाधान हेतु 'राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ' का गठन किया जाएगा। यह प्रकोष्ठ IT enabled होगा और प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं के लिए देश-विदेश के अन्य स्थानों पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी देगा तथा निजी manpower agencies के साथ समन्वय कर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में मदद भी करेगा।

140. देश में केन्द्र सरकार और बैंकिंग क्षेत्र में हर वर्ष रोजगार के हजारों अवसर उपलब्ध होते हैं। राज्य सरकार चयनित युवाओं को इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए coaching की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इसके

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लिए राजकीय महाविद्यालय और विद्यालयों के उपलब्ध infrastructure का उपयोग कर सायंकालीन प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जाएंगे। इसी तर्ज पर प्रदेश के जो युवक भारतीय सशस्त्र सेवा में अपना भविष्य देखते हैं उनको National Defence Academy, Combined Defence Services जैसी परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने हेतु कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार शीघ्र ही योजना लाएगी।

141. देश में हर साल लगभग 25 लाख passenger vehicles और 6 लाख commercial vehicles विक्रय होते हैं। इन वाहनों को चलाने के लिए हर वर्ष हजारों प्रशिक्षित चालकों की आवश्यकता होती है। रोजगार के ये अवसर प्रदेश के युवाओं को मिल सकें, इस हेतु RSLDC, परिवहन विभाग एवं auto-mobile companies मिल कर driving training centres चलाएंगे। यह प्रशिक्षण महिलाओं के लिए भी चलाया जाएगा।

142. RSLDC के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए दो करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

143. प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति देने और RSLDC, नियोजन विभाग एवं ITIs के बीच बेहतर समन्वय के लिए Department of Skills and Employment का गठन किया जाएगा जिसके अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण, IT IS एवं नियोजन से जुड़ी सभी गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

144. वर्ष 2015-16 में रीको द्वारा Central Glass and Ceramic Research Institute, Khurja के सहयोग से दक्ष कामगारों के लिए skill development कार्यक्रम के तहत उदयपुर, अलवर और बीकानेर जिले के 500 कामगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

145. पंजीकृत निर्माण-श्रमिक परिवार के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, कार्य स्थल पर ही निर्माण श्रमिकों के कौशल संवर्धन हेतु Recognition of Prior Learning के आधार पर विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

146. स्वरोजगार हेतु आजीविका परियोजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2013 से जनवरी, 2015 तक 12801 स्वयं सहायता समूहों का गठन

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कर एक लाख 54 हजार महिलाओं को लाभान्वित किया गया है तथा 2819 स्वयं सहायता समूहों को 19 करोड़ 66 लाख रुपये का ऋण दिया गया है। वर्ष 2015-16 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से 15 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन कर लगभग दो लाख गरीब महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। परियोजना के अन्तर्गत इन समूहों की महिलाओं को आजीविका या livelihood हेतु 95 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवायी जाएगी।

147. वर्ष 2015-16 में 60 नयी पंचायत समितियों में आजीविका के कार्य का विस्तार किया गया जाएगा। साथ ही, आजीविका संवर्धन हेतु चार जिलों में निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की जाएंगी जिससे गरीब, ग्रामीण परिवार की आय में वृद्धि होगी:-

- झालावाड़ में 1500 परिवारों को कृषि एवं गैर-कृषि आजीविका से जोड़ा जाएगा।
- डूंगरपुर में लिफ्ट सिंचाई योजना द्वारा 700 परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।
- धौलपुर में डेयरी द्वारा 1500 तथा बकरी पालन द्वारा 2500 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा तथा चूरू में 500 परिवारों को बूंदी-बंधेज का प्रशिक्षण प्रदान कर लाभान्वित किया जाएगा।

148. वर्ष 2014-15 में राज्य के 70 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में pilot basis पर vocational शिक्षा प्रारम्भ की गयी थी जिसके आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस सफलता को देखते हुए राज्य के चयनित 200 विद्यालयों में वर्ष 2015-16 में व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ करने की मैं घोषणा करती हूं। वर्ष 2015-16 में इस कार्य हेतु 40 करोड़ 45 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

149. राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों पर सरस बूथों की स्थापना की जाएगी। इससे न-केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि इन मार्गों पर चलने वाले यात्रियों को दुग्ध उत्पादक उपलब्ध हो सकेंगे। इस हेतु शीघ्र ही एक योजना लायी जाएगी।

150. राजस्थान में ITIs में आधुनिक उपकरणों की कमी है, साथ में उद्योगों के साथ इनका linkage भी missing है। इतने बड़े infrastructure का सही

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ढंग से उपयोग कर हम हजारों युवकों को प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं। इस हेतु निम्न उपायों की घोषणा है:-

- वर्तमान में राज्य में संचालित 170 राजकीय ITIs को नवीन पाठ्यक्रमानुसार आधुनिक tools and equipments उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष में 28 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
- गत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 के बीच 81 नयी ITIs खोलने की घोषणा की गयी थी, परन्तु इनमें से अधिकांश ITIs का भूमि आबंटन आज तक भी नहीं हुआ है। अत: मैं घोषणा करती हूं कि ITIs को भूमि आबंटित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और निर्माणाधीन 17 ITIs को पूर्ण करने एवं आवश्यक मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराने हेतु 82 करोड़ 65 लाख रुपये का प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में संचालित ITIs को और आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने के लिए हम निजी जन सहभागिता का भी इस क्षेत्र में स्वागत करेंगे।
- राज्य में 59 ITIs में कंप्यूटर लैब की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 7 करोड़ 67 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
- जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर में संचालित production center को उच्चीकृत कर regular ITI के रूप में विकसित किया जाएगा।
- राज्य में वर्तमान में 76 trades का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आगामी 3 वर्षों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित it is में आवश्यकतानुसार नये trades खोले जाएंगे।
- राज्य के जिला मुख्यालयों पर स्थित 28 it is में plumber training हेतु नया trade खोला जाना प्रस्तावित है। इस पर 4 करोड़ 98 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
- विज्ञापन एवं फिल्म के लिए Art Work, Graphics, Animation एवं अन्य IT enabled Art Works का प्रशिक्षण देने हेतु राज्य में एक Dedicated ITI की स्थापना की जाएगी।
- राजसमंद एवं किशनगढ़, जिला अजमेर की ITI में stone processing का नया course प्रारंभ किया जाएगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- भरतपुर सम्भाग में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा।
- युवाओं को ITI में प्रशिक्षण के लिए आकर्षित करने हेतु प्रत्येक जिले में एक ब्रांड एंबेसेडर का चयन किया जाएगा। यह ब्रांड एंबेसेडर ITI से प्रशिक्षित ऐसा युवा होगा जो सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में कार्यरत है।

स्थानीय स्व-शासन

शहरी विकास

151. भारत के राष्ट्रपति महोदय ने 9 जून, 2014 को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि-

- ''We must not tolerate the indignity of homes without toilets and public spaces littered with garbage. For ensuring hygiene, waste management and sanitation across the nation, a "Swachha Bharat Mission" will be launched. This will be a tribute to Mahatma Gandhi on his 150th birth anniversary to be celebrated in the year 2019"

152. उक्त भावना के अनुरूप राजस्थान के शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए मैं निम्न घोषणाएं करती हूं:-

- शहरी क्षेत्र में वर्ष 2018 तक 7 लाख 70 हजार से अधिक जल प्रवाही शौचालयों का निर्माण कर शहरों को Open Defecation Free बनाये जाने का प्रयास किया जाएगा जिसका Third Party Audit भी कराया जाएगा। वर्ष 2015-16 में एक कार्य योजना बनाकर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 300 सामुदायिक शौचालय बनाये जाएंगे। वर्ष 2015-16 में इन कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
- राज्य के कुछ चयनित नगर निकायों में solid waste collection and processing का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। इसके लिए viability gap funding के तहत आवश्यक राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

153. अजमेर-पुष्कर में विकास एवं संरक्षण हेतु Heritage City Development and Augmentation Yojana के अन्तर्गत 4 वर्षीय योजना तैयार की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत heritage walk ways, cycle track, pedestrian pathways विकसित किये जाएंगे। साथ ही, नवीन signages and underground wiring के कार्य भी हाथ में लिये जाएंगे। इस हेतु वर्ष 2015-16 में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

154. कोटा जिले में कोटा बैराज के समानान्तर एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करवाया जाएगा जिसकी लागत लगभग 85 करोड़ रुपये होगी।

155. शहरों में बढ़ती आबादी को आवास उपलब्ध करवाना एक ज्वलंत समस्या है। अनुमान के अनुसार वर्ष 2022 तक प्रदेश में 17 लाख आवासों की आवश्यकता होगी, जिनमें से अधिकांश आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग श्रेणी के होंगे। इन परिवारों को नगरीय क्षेत्र में राजकीय संस्थाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी से सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्य मंत्री जनआवास योजना' लायी जाएगी।

156. शहरी क्षेत्रों में निर्माणाधीन RoBs के कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए वर्ष 2015-16 में 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में बीकानेर (एलसी 4), हिण्डौन (एलसी 201) जिला करौली, रींगस (एलसी 108) जिला सीकर, मकराना (एलसी 34ई/2) जिला नागौर एवं सूरतगढ़ (एलसी 95) जिला श्रीगंगानगर के निर्माणाधीन RoBs के कार्य पूर्ण कर लिये जाएंगे।

157. पूर्ववर्ती सरकार पृथ्वीराज नगर योजना, जयपुर की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह से असफल रही। परन्तु हमारी सरकार ने वर्षों से लम्बित पृथ्वीराज नगर योजना में आवश्यक नीतिगत निर्णय लेते हुए शिविरों का आयोजन कर अब तक 4 हजार से अधिक पट्टे जारी किये हैं। वर्ष 2015-16 के अंत तक लगभग 10 हजार पट्टों का वितरण किया जाएगा।

158. इसी प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार की शिथिलता के कारण जयपुर के दक्षिण भाग में 47 किलोमीटर लम्बी रिंग का निर्माण कार्य वर्षों से रुका हुआ था। हमारी सरकार ने विशेष अभियान चलाकर और सभी सम्बन्धित पक्षकारों को विश्वास में लेते हुए रिंग रोड के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का न केवल कब्जा प्राप्त किया बल्कि प्रभावित काश्तकारों को उचित मुआवजा पैकेज भी दिया और इस परियोजना हेतु पर्यावरण clearance जनवरी, 2015 में प्राप्त कर ली गयी है। आगामी लगभग 20 माह की अवधि में इस परियोजना को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस रिंग रोड के निर्माण से जयपुर के निवासियों को सुगम यातायात की सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही शहर के विकास में भी तेजी आएगी।

159. रेलवे लाइन, भारी यातायात दबाव वाले traffic crossings पर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

वाहनों को अनावश्यक न रुकना पड़े, इस हेतु जयपुर में निम्न flyovers, RoBs एवं RuBs बनाये जाएंगे:-

- सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के पास जयपुर-सवाई माधोपुर लाइन पर,
- गोनेर रोड पर दांतली के पास जयपुर-दिल्ली रेलवे लाइन पर,
- जाहोता में जयपुर सीकर रेलवे लाइन पर,
- जोन सी बाई पास की सर्विस रोड पर
- जयपुर-अजमेर एवं जयपुर-सीकर लाइन पर,
- आनंद लोक योजना प्रथम एवं द्वितीय को आपस में जोड़ने के लिए जयपुर-सीकर रेलवे लाइन के नीचे under pass तथा
- गोपालपुरा बाई पास पर ऋद्धि सिद्धि चौराहे पर

160. हमारे पिछले कार्यलय में खोले के हनुमानजी मंदिर प्रांगण में 17 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाये गये थे। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए यहां पर 10 करोड़ रुपये की लागत से नयी रसोई, पार्किंग इत्यादि के विकास कार्य योजनाबद्ध रूप से करवाये जाएंगे।

161. जयपुर में खुले green space की काफी कमी है। इसी क्रम में सिंगापुर के विशेषज्ञों की मदद से किशनबाग में एक botanical park का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही Central park का विकास कार्य भी करवाया जाएगा। आगरा रोड स्थित सिल्वन पार्क का विकास कार्य भी हाथ में लिया जाएगा।

162. अमानीशाह नाले में गिरने वाले दूषित पानी के purification एवं नाले के आसपास के क्षेत्र के एकीकृत विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गयी है और आगामी वर्ष में कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

163. जयपुर शहर में बिजली के तारों को भूमिगत किये जाने का कार्य करवाये जाने हेतु वर्ष 2015-16 में 80 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

164. प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में ऊर्जा की बचत हेतु आगामी 3 वर्षों में सार्वजनिक प्रकाश के लिए LED lights लगायी जाएंगी। वर्ष 2015-16 में जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, चूरू, पाली, अलवर, भिवाड़ी, धौलपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, पुष्कर तथा माउंट आबू में LED lights लगायी जाएंगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

165. मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष है कि जनता की मांग एवं सुविधा को देखते हुए राज्य में पंचायती राज संस्थाओं का 20 वर्ष बाद पुनर्गठन कर 47 नयी पंचायत समितियों एवं 723 नयी ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। इन नवगठित पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों हेतु भवन की आवश्यकता को देखते हुए मैं घोषणा करती हूं कि जिन ग्राम पंचायतों में कोई उपयुक्त खाली सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है, उनमें नवीन ग्राम पंचायत भवन बनाये जाएंगे। साथ ही पंचायत समितियों के नवीन भवनों का निर्माण 94 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है।

166. राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शिक्षा सम्बन्धी योग्यता निर्धारित की गयी है। इन नवीन प्रावधानों का सकारात्मक परिणाम आप सभी के सामने है। जहां वर्ष 2010 में 10वीं पास से अधिक योग्यता वाले जिला परिषद सदस्यों की संख्या 33 प्रतिशत, पंचायत समिति सदस्यों की संख्या 18 प्रतिशत तथा 8वीं पास सरपंचों की संख्या 22 प्रतिशत थी, वहीं वर्ष 2015 में इनकी संख्या क्रमश: 70 प्रतिशत, 54 प्रतिशत व 48 प्रतिशत हो गयी है। अर्थात् शिक्षित सदस्यों की संख्या में दुगनी से तिगुनी वृद्धि हुई है। आशा है कि नव-निर्वाचित जन प्रतिनिधिगण अपने कौशल, ज्ञान तथा ऊर्जा से पंचायती राज संस्थाओं को और सशक्त करने में सफल होंगे। नये चुने हुए जन प्रतिनिधियों को पंचायती राज सम्बन्धी नियमों एवं कार्यों की जानकारी देने के लिए आगामी वर्ष से व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

167. राज्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले पंचायती राज संस्थाओं को राज्य स्तरीय अवार्ड दिये जाने की मैं घोषणा करती हूं। इन संस्थानों का चयन, स्वयं के संसाधनों में वृद्धि, स्वच्छ भारत अभियान में उल्लेखनीय कार्य तथा बाल विवाह के रोकथाम हेतु उठाये गये कदमों पर आधारित होगा। इस सम्बन्ध में जारी की जाने वाली योजना के अन्तर्गत यह पुरस्कार प्रदेश की प्रथम तीन जिला परिषदों को एवं प्रत्येक संभाग में प्रथम तीन जिला पंचायत समितियों तथा हर जिले में प्रथम तीन ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। प्रथम तीन जिला परिषदों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि क्रमश: 25 लाख रुपये, 15 लाख रुपये एवं 10 लाख रुपये होगी। इसी प्रकार प्रथम तीन पंचायत समितियों को देय राशि क्रमश: 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये एवं 3 लाख

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

रुपये होगी। हर जिले में प्रथम ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपये, द्वितीय को 2 लाख रुपये तथा तृतीय को 1 लाख रुपये की राशि देय होगी।

(13.00 बजे)

168. आगामी वर्ष पंचायती राज संस्थानाओं को 2 हजार 73 करोड़ 75 लाख रुपये के अनुदान का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों को 1 हजार 471 करोड़ रुपये का अनुदान भी उपलब्घ करवाया जाएगा।

169. गुरु गोलवलकर जन-भागीदारी विकास योजना के लिए वर्ष 2014-15 में 50 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था। वर्ष 2014-15 में इस योजना में 48 करोड़ रुपये के 751 कार्य स्वीकृत किये गये। योजना में आमजन द्वारा दिये जा रहे सहयोग को देखते हुए सरकार ने भी अपनी भागीदारी को बढ़ाकर, योजना के अन्तर्गत देय राशि को दुगना करने का निर्णय लिया है। अत: वर्ष 2015-16 में इस हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की मैं घोषणा करती हूं।

170. सुराज संकल्प के तहत हमने बीपीएल परिवारों के साथ-साथ अन्य चिन्हित वर्गों को भी आवासीय सुविधाएं योजनाबद्ध रूप से प्रदान करने का वादा किया था। राज्य में ऐसे वंचित वर्गों का विधिकरण कर आगामी वर्ष तक एक योजना लायी जाएगी। इस योजना के तहत पक्के मकान हेतु 70 हजार रुपये प्रति आवास की दर से अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2015-16 में ऐसे 3 हजार परिवारों के लिए 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

171. वन क्षेत्र में रह रहे परिवार व विशेष वंचित जनजाति समूहों के 20 हजार 760 परिवारों हेतु मार्च, 2013 में पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत 45 हजार रुपये की लागत से पक्के मकान बनाने के लिए स्वीकृति दी गयी थी। अप्रैल, 2013 से इंदिरा आवास योजना की सहायता को बढ़ाकर 70 हजार रुपये कर दिया गया, परन्तु पिछली सरकार द्वारा इन परिवारों के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी जिस कारण इनके मकान अधूरे पड़े हैं। इन आवासों को पूर्ण करने हेतु 25 हजार रुपये प्रति आवास की दर से वर्ष 2014-15 में 15 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2015-16 में 36 करोड़ 90 लाख रुपये कुल 51 करोड़ 90 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करायी जाएगी ताकि ये सब अपने-अपने भवनों को कम्पलीट कर सकें।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

172. सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर राज्य में 'मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना' लागू की गयी है। इस योजना के तहत माननीय विधायक के नेतृत्व में ग्राम समुदाय की सक्रिय भागीदार से साझा विकास योजना तैयार की जाएगी। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष एक आदर्श ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा।

173. श्रम-सामग्री के अनुपात की गणना पंचायत स्तर पर किये जाने से महानरेगा के तहत जन उपयोगी पक्के कार्य कराने में अत्यधिक कठिनाई होती है। इस समस्या के समाधान के लिए तथा अधिक से अधिक संख्या में पक्के और स्थाई कार्य कराने के उद्देश्य से मैं additional material component के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि का एक कोष बनाने की घोषणा करती हूं।

डिजिटल राजस्थान एवं सुशासन

सूचना प्रौद्योगिकी

174. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के लिए वर्ष 2015-16 में 626 करोड़ 23 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है, जो वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान से 72 प्रतिशत अधिक है।

175. भामाशाह कार्ड को आधार, जन धन व मोबाइल नम्बर सेवा से जोड़ दिया गया है। इसमें व्यक्ति के साथ-साथ परिवार का भी पृथक् पहचान नम्बर दिया गया है। प्रदेश में भामाशाह योजना के तहत अब तक 61 लाख परिवारों तथा 1 करोड़ 92 लाख निवासियों का नामांकन किया जा चुका है। विभिन्न बैंकों के Rupay Card को भामाशाह योजना से cobrand किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में सहकारी बैंकों को 'कोर बैंकिंग' प्रणाली के साथ भामाशाह योजना से जोड़ते हुए इनके माध्यम से भी सेवा दूर-दराज के क्षेत्रों में पहुंचायी जाएगी। इसके लिए primary agriculture credit society (PACS), large agriculture multipurpose society (LAMPS) तथा ई-मित्र केन्द्रों को business correspondent बनाने का निर्णय लिया गया है।

176. मैं यह घोषणा भी करती हूं कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भामाशाह योजना के तहत बैंकिंग सुविधा वर्ष के 365 दिन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की सभी 9 हजार 900 पंचायतों में अटल सेवा केन्द्रों पर Micro ATM स्थापित किए जाएंगे। भामाशाह योजना के माध्यम से राशन कार्ड, पेंशन, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति एवं नरेगा भुगतान के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया है। आगामी वर्ष में अन्य योजनाओं यथा छात्र स्कूटी वितरण, इंदिरा आवास, मुख्य मंत्री बीपीएल आवास, जननी सुरक्षा योजना, बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण सेवाएं तथा अन्य व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का लाभ भामाशाह योजना के माध्यम से दिया जाएगा। भामाशाह योजना को प्रधानमंत्री जन-धन योजना के साथ एकीकृत कर दिया गया है जिससे सम्पूर्ण एवं समग्र वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंकों ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि आगामी वर्ष में 500 नवीन brick and mortar branches खोली जाएंगी।

177. ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की संख्या 40 से बढ़ाकर 107 एवं केन्द्रों की संख्या 5 हजार से बढ़ाकर 11 हजार कर दी गयी हैं। पूर्व में ई-मित्र कियोस्कधारियों को अनुदान दिया जाता था, परन्तु मुझे यह बताते हुए खुशी है कि अनेक सरकारी योजनाओं को जोड़ने से ये केन्द्र स्वयं सक्षम हो गये हैं। इनकी सफलता को देखते हुए वर्ष 2015-16 में सरकारी विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही ऐसी समस्त सेवाओं को जो ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करवायी जा सकती हैं, इन केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाने की मैं घोषणा करती हूं। साथ ही प्रत्येक पंचायत पर एक ई-मित्र केन्द्र सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में केन्द्रों की संख्या 15 हजार तक की जाएगी।

178. राज्य में मोबाइल की connectivity को बेहतर करने के लिए 4G की सेवाओं का विस्तार करने के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।

179. आगामी वर्ष से जन समस्याओं की सुनवाई हेतु पंचायत स्तर तक सभी अटल सेवा केन्द्रों पर वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा phased manner में उपलब्ध करवाने की मैं घोषणा करती हूं। साथ ही सरकार के विभागों की कार्य प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक Big Data तकनीक से लैस analytic system का विकास किया जाएगा। इससे कर एवं गैर कर राजस्व संग्रहण में भी वृद्धि हो सकेगी।

180. वर्ष 2015-16 में नागरिकों, उद्योग एवं सरकारी विभागों के विस्तृत विकास एवं उन्नति पर आधारित नयी IT एवं e-governance policy जारी की जाएगी।

181. राज्य मुख्यालय के अलावा जिलों में तथा उससे नीचे के स्तर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पर सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक के सुलभ, सतत् एवं सक्षम सहयोग के लिए सभी जिला स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी कार्यालय स्थापित किये जाने की मैं घोषणा करती हूं। इन कार्यालयों की स्थापना से जिलों में चलायी जा रही e-mitra, भामाशाह जैसी योजनाओं की effective मानिटरिंग होगी तथा इन्हें गति मिलेगी।

182. मैंने अपने पूर्व कार्यकाल में जयपुर को चरणबद्ध तरीके से wi-fi city बनाने की घोषणा की थी, किन्तु उसके पश्चात् इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अत: मैं घोषणा करती हूं कि प्रथम चरण में जयपुर शहर में मुख्य रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप बस स्टैंड, जंतर-मंतर क्षेत्र, आमेर fort, सेंट्रल पार्क, जवाहर सर्किल, सवाई मानसिंह अस्पताल, मैट्रो के चयनित स्टेशनों एवं अन्य ऐसे स्थानों पर wi-fi की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी।

183. अन्य देशों की तरह पर्यटकों को पर्यटन सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए Rajasthan State Tourism Portal बनाया जाएगा। यह एक one stop पोर्टल होगा जहां पर्यटक स्थलों, Hotels, Routes, Guides, Taxies आदि की समस्त जानकारी उपलब्ध होगी।

184. वर्ष 2014-15 में मेरे द्वारा राज्य के प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए Rajasthan School Education Portal की स्थापना की घोषणा के क्रम में Open Source Technology आधारित शिक्षा पोर्टल का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। आगामी वर्ष में राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों तथा राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के प्रवेश से degree प्राप्त होने तक की समस्त प्रक्रिया हेतु एकीकृत online software विकसित करने तथा e-learning को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षण सामग्री digital रूप में उपलब्ध करवाने के लिए Rajasthan Higher Education Portal की स्थापना की जाएगी।

185. राज्य में 6 हजार 500 विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब स्थापित किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष में 50 करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार अन्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना कर छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करवाया जाएगा।

186. राज्य में 233 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Receive only Terminal स्थापित कर SATCOM के माध्यम से विज्ञान विषय में कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। विज्ञान संकाय वाले अन्य सभी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं 66 माडल स्कूलों में भी Receive only Terminal स्थापित करने की मैं घोषणा करती हूं।

187. राज्य में संचालित ICT enabled विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता एवं विद्यालय प्रशासन में सुधार हेतु शाला दर्पण कार्यक्रम pilot basis पर प्रारम्भ किया जाएगा।

188. राजकीय विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के विद्यमान आधारभूत ढांचे का प्रयोग करते हुए राज्य में Digital Literacy योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत प्रदेश के वे नागरिक जो IT के क्षेत्र में illiterate हैं, उन्हें IT की जानकारी उपलब्ध करवायी जाएगी।

189. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का end to end computerisation करवाया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत PDS Shops पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी को उसके entitlement के अनुसार देय सामग्री का वितरण PoS (point of sales) machine के माध्यम से किया जाएगा। इस हेतु आगामी वर्ष में 88 करोड़ 54 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

190. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु e-tuition का प्रावधान किया जाएगा।

191. आमजन की सुविधा के लिए राजस्थान के सभी राजस्व न्यायालयों को online एकीकृत प्रणाली से जोड़ने की मैं घोषणा करती हूं। 'ई-धरती' कार्यक्रम को शीघ्र क्रियान्वित किया जाएगा।

192. Integrated Financial Management System (IFMS) को और अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2015-16 में निम्न गतिविधियों के लिए प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है:-

- लोक निर्माण विभागों के सभी भुगतान कोषालय के माध्यम से electronic payment द्वारा किये जाएंगे। यह व्यवस्था भुगतान होने वाले कार्यों के GPS एवं Different Stages के Photographs से भी Linked होगी।
- राजकीय भुगतानों की जानकारी Mobile App, SMS एवं E-sanchar के माध्यम से सम्बद्ध कर्मचारियों, पेंशनर्स, सेवा प्रदाताओं एवं ठेकेदारों आदि को दी जाएगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- राज्य के राजस्व को debit card एवं credit card से जमा करवाने की सुविधा e-grass पर उपलब्ध करवायी जाएगी। e-grass पर e-payment को मोबाइल एप से भी सम्बद्ध किया जाएगा।
- Online कोष प्रणाली को भामाशाह योजना के अन्तर्गत राशि के direct हस्तांतरण हेतु सम्बद्ध किया जाएगा।
- PD खातों के भुगतान हेतु electronic payment system का उपयोग चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ किया जाएगा।

193 . सूचना और जन सम्पर्क विभाग के पास वर्ष 1952 से आज तक के संकलित Historicl records, documents एवं photographs का Digitization कराया जाएगा।विभाग द्वारा प्रति वर्ष जारी किये जाने वाले प्रकाशनों को ई-युक के प्रारूप में भी विकसित किया जाएगा। साथ ही, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, गतिविधियों एवं उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आमजन को वास्तविक समय पर जानकारी तुरन्त सुलभ कराने हेतु mobile application तैयार करायी जाएगी और विभाग में Social Media Cell विकसित किया जाएगा।

राजस्व

194. राजस्व विभाग के कार्यालय के सुद्दढ़ीकरण की महती आवश्यकता को देखते हुए मैं निम्न उपायों की घोषणा करती हूं:-

- 97 करोड़ रुपये की लागत से SDO, तहसील एवं उप-तहसील कार्यालय भवनों का निर्माण
- 10 करोड़ रुपये की लागत से SDO, तहसील कार्यालय एवं आवासों का रख-रखाव।
- 3 करोड़ रुपये की लागत से SDO एवं तहसीलदार के लिए नए आवासों का निर्माण।

195. वर्तमान में SDO, ACEM एवं तहसीलदार के राजस्व न्यायालयों में 2 लाख 90 हजार से भी अधिक मुकदमे लम्बित हैं तथा हर वर्ष इनमें लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है। इन अधिकारियों के अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण मुकदमों के निस्तारण के लिए ये पर्याप्त समय नहीं दे पाते। अत: सरकार ने जब राजस्व प्रकरणों का त्वरित निस्तारण कर Pendency को कम करने का फैसला लिया है। इस हेतु प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु में राजस्व लोक अदालत अभियान चलाये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पंजीयन एवं मुद्रांक

196. उप-पंजीयक कार्यालय नोखा जिला बीकानेर एवं मावली जिला उदयपुर में नवीन भवन निर्माण 60 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा।

गृह

197. अधिकांश जिला पुलिस, सशस्त्र बटालियन तथा प्रशिक्षण संस्थानों की लाइंस पुरानी होने के कारण इनकी मरम्मत एवं रख-रखाव की आवश्यकता है। इस हेतु आगामी वर्ष 48 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

198. राज्य में ऐसी पुलिस लाइंस जहां पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे विद्यमान आधारभूत ढांचे का पूर्ण सदुपयोगा हो सकेगा। इस हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाये जाएंगे।

199. पुलिस थानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु वर्ष 2015-16 में सभी जिला मुख्यालयों एवं पर्यटन स्थल जैसे पुष्कर एवं मांउट आबू के 234 थानों में CCTV cameras स्थापित कर एक आधुनिक Control Room विकसित किया जाएगा। इन कैमरों से live beaming की सुविधा जिला मजिस्ट्रेट के साथ-साथ centralized control room में भी उपलब्ध करवायी जाएगी। इस हेतु 3 करोड़ 55 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

200. हाइवे पैटोलिंग के लिए उपयोग में लिये जाने वाले सभी वाहनों पर GPS लगाये जाएंगे जिससे बेहतर पर्यवेक्षण हो सकेगा।

201. वर्ष 2014-15 में सभी केन्द्रीय कारागारों एवं जिला कारागार 'ए' श्रेणी में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष में 'बी' श्रेणी के सभी 22 जिला कारागृह, महिला बंदी गृह जोधपुर एवं जयपुर तथा बालबंदी गृह, जैतारण, जिला में सुरक्षा की दृष्टि से 3 करोड़ 87 लाख रुपये की लागत से सीसीटीवी प्रणाली स्थापित की जाएगी।

202. जिला कारागार 'अ' श्रेणी अलवी को केन्द्रीय कारागार के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा। कारागार भवन की मरम्मत एवं संवर्द्धन पर 5 करोड़ 26 लाख रुपये का व्यय होगा।

203. कारागारों में 12 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से 36 नयी बंदी बैरकों का निर्माण करवाया जाएगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

204. बंदियों से मुलाकात की व्यवस्था को सुविधाजनक करने हेतु जयपुर को छोड़कर सभी केन्द्रीय कारागृहों तथा उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर में आधुनिक बंदी मुलाकात कक्ष का निर्माण 2 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से करवाया जाएगा। इन सभी मुलाकात कक्षों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे।

205. उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर तथा जिला जेल अलवर, झालावाड़, धौलपुर तथा टोंक को सम्बन्धित न्यायालयों से वीडियो कांफ्रेंसिंग से जोड़ा जाएगा।

206. नागरिक सुरक्षा विभाग का विलय राज्य स्तर पर आपदा प्रबंध एवं सहायता विभाग में किया जाएगा।

207. जिला मुख्यालयों पर 35 सहायक निदेशक अभियोजन के कार्यालय संचालित हैं। अगले 3 वर्षों में phased manner में सभी सहायक निदेशक अभियोजन के कार्यालय में library और e-library के लिए संसाधन उपलब्ध करवाये जाएंगे।

208. अभियोजन विभाग में 35 सहायक लोक अभियोजक कार्यालय सुजानगढ़-जिला चूरू, नोखा-जिला बीकानेर तथा सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय राजसंमद के भवनों का निर्माण 1 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाएगा।

209. वर्तमान में अभियोजन अधिकारियों का वर्दी भत्ता प्रत्येक तीन वर्ष में 2 हजार 250 रुपये देय है। इसे बढ़ाकर 3 हजार 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

न्याय प्रशासन

210. चैक अनादरण मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु वर्ष 2015-16 में जयपुर में 6, जोधपुर में 5, उदयपुर एवं कोटा में 3-3, अजमेर एवं अलवर में 2-2, बीकानेर, पाली, चित्तौड़गढ़ तथा ब्यावर में एक-एक विशिष्ट न्यायालय (Negotiable Instruments Act प्रकरण) की स्थापना करने की मैं घोषणा करती हूं।

211. पचपदरा जिला बाड़मेर, दूनी जिला टोंक, आमेर जिला जयपुर एवं कोटकासिम जिला अलवर में एक-एक नवीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय खोले जाएंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

212. महिला उत्पीड़न प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु जयपुर एवं कोटा में एक-एक नवीन विशेष न्यायालय (महिला उत्पीड़न प्रकरण) की स्थापना की जाएगी।

गौपालन

213. गौ-तस्करी से बचाये गये गौवंश को पंजीकृत गौशाला तथा नगरीय निकायों द्वारा संचालित पुनर्वास केन्द्र के सुपुर्द कर भरण-पोषण हेतु चारा, पशु आहार एवं आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सहायता योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत सहायता राशि न्यायिक अभिरक्षा की अवधि अथवा अधिकतम 1 वर्ष जो भी कम हो, तक देय होगी। वर्ष 2015-16 में इस हेतु 5 करोड़ 88 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

214. वर्तमान में जयपुर में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र तथा जोधपुर में उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र स्थापित हैं। विज्ञान को मनोरंजन के माध्यम से सीखने में इन केन्द्रों का महत्वपूर्ण योगदान है, अत: मैं 5 करोड़ रुपये की लागत से उदयपुर में उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना की घोषणा करती हूं।

215. विद्यार्थियों के साथ-साथ आमजन का रुझान भी विज्ञान की ओर करने के लिए जयपुर में Regional Science Center को upgrade करने के लिए वर्ष 2015-16 में 2 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

सूचना एवं जन सम्पर्क

216. सभी जिला सूचना केन्द्रों में 1 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाये जाएंगे। साथ ही विभाग के प्रेस-कक्ष का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण 1 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से करवाया जाएगा।

217. राजस्थान पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से दी जाने वाली एकमुश्त वित्तीय सहायता राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये तथा विशेष मामलों में इसकी सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की मैं घोषणा करती हूं।

218. अधिस्वीकृत पत्रकारों को राज्य में संचालित एवं दिल्ली यात्रा की राजस्थान रोडवेज की सभी वातानुकूलित एवं वोल्वो बसों में किराये में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा करती हूं। इस रियायती राशि का पुनर्भरण पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से किया जाएगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सैनिक कल्याण

219. वर्तमान में 28 जगहों पर सैनिक विश्राम गृह कार्यरत हैं एवं बहरोड़ तथा भीलवाड़ा में सैनिक विश्राम गृह निर्माणाधीन हैं। इन दोनों विश्राम गृहों का निर्माण आगामी वर्ष में पूर्ण करवा इन्हें सैनिकों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2015-16 में टोंक में नवीन सैनिक विश्राम गृह का निर्माण 60 लाख रुपये की लागत से करवाया जाएगा।

220. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक तथा उनकी विधवाओं को जिन्हें किसी भी अन्य स्रोत से पेंशन अथवा सहायता नहीं मिल रही है, वर्तमान में 3 हजार रूपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। इसे बढ़ाकर 4 हजार रूपये करने की मैं घोषणा करती हूं, जिस पर लगभग प्रति वर्ष 6 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय होगा।

221. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.4.1999 के पश्चात आपरेशन विजय तथा अन्य आपरेशनों में शहीद सैनिकों के माता-पिता के नाम से पोस्ट आफिस में 1 लाख 50 हजार रुपये का स्थायी जमा खाता खोला जाता है। ऐसे शहीद के माता-पिता को देय राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये किये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

222. राज्य में राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम, 1966 के तहत President Police Medal for Gallantry एवं Police Medal for Gallantry को दिये जा रहे बढ़ी हुई राशि के नकद पुरस्कार के कारण उत्पन्न हुई विसंगतियों को दूर करने के लिए शौर्य धारकों को देय नकद पुरस्कार की राशि 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख 50 हजार रुपये तथा सेना, वायु एवं नौसेना मैडलधारकों को देय राशि 2 लाख रुपये को बढ़ाकर 6 लाख 25 हजार किये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

223. प्रदेश के हजारों सैनिक duty के दौरान लम्बी अवधि तक बाहर रहते हैं। इस दौरान उनके परिवारों को आ रही समस्याओं को दर्ज कर उनका निराकरण call centre के माध्यम से करने की व्यवस्था की जाएगी।

प्रशासनिक सुधार

224. वर्तमान में कई अधिनियम, नियम एवं विनियम विद्यमान हैं जो आज के समय में irrelevant हो गये हैं। हमारी सरकार इनका परीक्षण कर समाप्त करने की कार्यवाही कर रही है1 सुशासन की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कर्मचारी कल्याण

225. गत बजट पर विधान सभा में चर्चा के दौरान परीवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारियों के consolidated वेतन में 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गयी थी जिसे सितम्बर 2014 से लागू कर दिया गया है। अब मैं इन कर्मचारियों के consolidated वेतन में जुलाई, 2015 से अतिरिक्त 10 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा करती हूं।

226. गत सरकार द्वारा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य के अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु बड़े-बड़े वायदे तो किये गये थे, परन्तु इनकी क्रियान्विति नहीं की गयी। हमारी सरकार ने कर्मचारी वर्ग के प्रतिनिधियों से वार्ता कर इनकी पदोन्नति हेतु सेवा नियमों में one time relaxation देने हेतु सहमति दी है। पदोन्नति हेतु एक अभियान चलाकर वर्ष में इन कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाएगा।

227. कर्मचारियों की लम्बे समय से मांग रही है कि वर्दी के स्थान पर उन्हें वर्दी भत्ता दिया जाए जिससे system की खामियों के कारण आ रही कठिनाइयों को भी दूर किया जा सके। अत: मैं घोषणा करती हूं कि राज्य के समस्त कर्मचारियों को जिन्हें वर्दी उपलब्ध करवायी जाती है, वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता दिया जाएगा।

228. वर्तमान में पुलिस, आर.ए.सी. एवं आबकारी की निवारक शाखा के कर्मचारी विशेष पेंशनरी अवार्ड के दायरे में हैं। Low and Order बनाये रखने हेतु नियुक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट, खान, परिवहन एवं वन विभाग की prevention and enforcement branches के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी इस विशेष पेंशनरी अवार्ड के दायरे में लाने की घोषणा करती हूं।

229. वर्ष 2015-16 से राज्य के पेंशनर्स के लिए digital life certificate की सुविधा लागू की जाएगी। इस सुविधा से बिना स्वयं बैंक जाए आधार based बायोमैट्रिक पहचान के द्वारा पेंशनर्स अपने निवास, कामन सर्विस सेंटर अथवा मोबाइल से बैंक को digital life certificate प्रस्तुत कर सकेंगे।

230. पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से इन सभी कर्मचारियों का वेतन treasury के माध्यम से draw किये जाने की व्यवस्था की जाएगी।

231. मैं यहां विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि नवीन निर्माण के साथ-साथ पुराने निर्माण के रख-रखाव व विभिन्न सेवाओं का सरलीकरण एवं com-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

puterisation भी अत्यन्त आवश्यक है। पिछले कई सालों से अपेक्षित आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए तथा public service delivery mechanism को कारगर बनाने के लिए इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। हमारा यह पूरा प्रयास होगा कि इन सभी योजनाओ का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो जिससे कि इनका वास्तविक लाभ प्रदेश के नागरिकों को मिल सके।

232. जन-आधारित इस बजट में जहां रोजगार एवं निवेश को बढ़ावा देते हुए आर्थिक व सामाजिक आधारभूत संरचना के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया है, वहीं स्थानीय स्व-शासन को सशक्त करते हुए digital राजस्थान के माध्यम से सामान्य जन तक विभिन्न सेवाओं की पंहुंच को बढ़ाते हुए सुशासन की अवधारणा को भी मजबूती प्रदान की गयी है।

यहां मैं इतना ही कहना चाहूंगी-

नयी बुलन्दियों को छूने में वक्त तो लगता है,
नयी इमारत को बनने में वक्त तो लगता है।
कुछ किया है हमने, बहुत कुछ करेंगे हम,
पर सबके सपनों को सच करने में वक्त तो लगता है।

233. इस कठिन राह को तय करने में अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम राजस्थान के नवनिर्माण का सफर पूरा कर सकेंगे और सशक्त राजस्थानी के साथ-साथ सशक्त और resurgent राजस्थान का निर्माण करने में सफल हो पांएगे।

कर प्रस्ताव

234. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अब कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं।

235. गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पूर्व मैंने सभी वर्गों के सुझाव प्राप्त करने का प्रयास किया है। इस हेतु व्यापारिक संगठनों, कर विशेषज्ञों, किसान संगठनों, पशुपालकों, महिलाओं, युवाओं एवं प्रोफेशनल्स आदि के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गयीं तथा आमजन से online सुझाव भी आमंत्रित किये गये। इन सुझावों को मैंने यथासम्भव कर-प्रस्तावों में शामिल करने का प्रयास किया है।

236. हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान एक औद्योगिक राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाए और राज्य में व्यापार करना सुविधाजनक हो। इस हेतु

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

राज्य में उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए Ease of Doing Business के तहत प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना हमारी प्राथमिकता है। इस दिशा में dealer की सुविधा हेतु dealer friendly IT system होने के साथ-साथ tax collection की प्रकिया का सरल होना भी आवश्यक है।

237. उद्योग एवं व्यापार जगत की इन आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप वाणिज्यिक कर विभाग में tax collection प्रक्रिया का निरन्तर सरलीकरण किये जाने के साथ-साथ dealers के लिये सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। IT system को मजबूत बनाने के उद्देश्य से गत वर्ष मैंने यह लक्ष्य तय किया था कि VAT सम्बन्धी समस्त कार्य 31 मार्च, 2016 तक इलेक्ट्रोनिक माध्यम से होने प्रारम्भ हो जाएं।

238. मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि वर्ष 2014-15 में अब तक dealers को उनके द्वारा प्रस्तुत returns, जारी घोषणा पत्रों व अन्य प्रार्थना पत्रों आदि की सूचना के लिए 10 लाख से अधिक SMS किये गये। इस वित्तीय वर्ष में अब तक वाणिज्यिक कर विभाग की वैबसाइट को लगभग 3.50 करोड़ hits मिल चुके हैं। इस दौरान वैबसाइट से लगभग 22 लाख online घोषणा पत्र जैसे VAT-15, 47A, 49A, C-form, F-form आदि जारी किये गये और 89 हजार से अधिक dealers का online registration भी किया गया।

239. समस्त कार्यों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से करने के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वाणिज्यिक कर विभाग लगातार प्रयासरत है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मैं कर प्रस्तावों को प्रस्तुत कर रही हूं।

माल एवं सेवा कर (GST)

240. देश में अप्रैल, 2016 से Goods and Service Tax (GST) लागू किया जाना सम्भावित है। GST को लागू करने की तैयारियों के सम्बन्ध में नगरीय विकास, आवासन एवं स्थानीय निकाय मंत्री की अध्यक्षता में GST consultation Committee का गठन किया जा चुका है। इसकी प्रथम बैठक में stakeholders से किया गया विचार-विमर्श सकारात्मक रहा है। Committee के सदस्यों द्वारा इस बैठक में GST लागू करने के लिये IT infrastructure को upgrade करने पर जोर दिया गया है। GST लागू करने के लिये आगामी समय में जिला एवं सम्भाग स्तर पर भी dealers तथा tax experts के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूं कि प्रत्येक स्तर पर किया गया Consultation राज्य में सफलतापूर्वक GST लागू करने में सहायक होगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

241. इसी क्रम में GST लागू करने और VAT regime के अन्तर्गत वर्तमान IT infrastructure पर बढ़ते कार्यभार को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक कर विभाग के IT infrastructure का gap analysis विशेषज्ञों से कराया जाना प्रस्तावित है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार विभाग के IT Infrastructure को upgrade किया जाएगा।

IT System तथा Tax Collection प्रक्रिया का सरलीकरण

242. वाणिज्यिक कर विभाग के मुख्य कार्य registration, tax collection, return filing, assessment, recovery, Refund, declaration Form तथा appeal से सम्बन्धित हैं। इनमें से कई कार्यों को online करने की घोषणा गत बजट में की गयी थी जिसमें से अधिकाशं कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है। अब विभाग के मुख्य कार्यों को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रोनिक माध्यम से करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कई कदम और उठाये जाने हैं उनमें से कुछ प्रस्तावों का मैं यहां उल्लेख कर रही हूं।

243. वर्तमान में VAT 47 और 49 declaration form को विभागीय वैबसाइट के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। Dealers की सहूलियत के लिये इन घोषणा पत्रों को mobile phone application के माध्श्म से प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस नवीन व्यवस्था में विभागीय वैबसाइट अथवा mobile application से प्राप्त किये गये घोषणा पत्रों की system generated information वाहन प्रभारी के mobile phone पर SMS के माध्यम से भी उपलब्ध हो सकेगी। माल के परिवहन के समय वाहन प्रभारी के mobile में system generated SMS होने की स्थिति में घोषणा पत्र की hard copy साथ रखना अनिवार्य नहीं होगा।

244. इसी क्रम में commission agent के माध्यम से की जाने वाली बिक्री के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जाने वाले VAT 3, 36 & 36A फार्म को भी विभागीय वैबसाइट के मध्यम से online जारी किया जाना प्रस्तावित है।

245. गत बजट में विभिन्न सेवाओं के आवेदन इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में VAT अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत determination of disputed questions के लिये online आवेदन किये जाने की सुविधा प्रदान जाना प्रस्तावित है।

246. इसके साथ ही कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अपील के लिये

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

memorandum for appeal (VAT-27) तथा application for condonation of delay (VAT-28) को online प्रस्तुत करने की भी व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही इस हेतु देय 50 रुपये कोर्ट फीस को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

247. वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से दी गयी छूट के आधार पर concessional VAT rate पर सामग्री विक्रय करने हेतु विक्रेता को क्रेता से निर्धारण प्रपत्र में प्रमाण-पत्र लेना होता है, जो उसे assessment के समय कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत निर्धारित इन प्रमाण-पत्रों का एक समान प्रारूप बनाया जाकर इन्हें online जारी करने की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

248. वर्तमान में VAT और CST Act हेतु एक ही return file किये जाने की सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा का विस्तार करते हुए Entry tax व Luxury tax के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले returns का VAT और CST Act के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले single return के साथ integration किया जाना प्रस्तावित है।

249. वर्तमान में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा Entertainment Tax Act के अतिरिक्त अन्य सभी कर अधिनियमों के अन्तर्गत e-return की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में Entertainment Tax हेतु भी e-return की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

250. गत वर्ष dealers द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग की वैबसाइट उपयोग करने की one time undertaking प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर VAT व CST return की hard copy प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी थी। इसी प्रकार dealers द्वारा विभाग की वैबसाइट उपयोग करने की one time undertaking प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर Entry Tax, Luxury Tax तथा Entertainment Tax return की hard copy प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को भी समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

251. वर्तमान में Tax assessment के पश्चात डीलर को ड्यू रिफण्ड हेतु सामान्यत: विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है। डीलर को बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये समय से रिफण्ड देने हेतु असैसमैंट के पश्चात् 30

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

दिवस के अन्दर स्वत: ही ड्यू रिफण्ड डीलर के बैंक खाते में आनलाइन ट्रांसफर करने की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2013-14 व इससे आगामी वर्षों से सम्बन्धित टैक्स असैसमेंट के पश्चात ड्यू होने वाले रिफण्ड हेतु उपलब्ध होगी।

252. वर्तमान में सी फार्म समर्थित इंटर-स्टेट बिक्री पर सीएसटी की दर 2 प्रतिशत है, जबकि वैट की लोअर टैक्स स्लैब 5 प्रतिशत है। इस कारण ऐसे डीलर्स जिनकी अधिकांश बिक्री इंटर-स्टेट ट्रेड के रूप में होती है, उनके आईटीसी रिफण्ड क्लेम की स्थिति बनती है, परन्तु यह रिफण्ड सामान्यतया असैसमेंट के पश्चात ही जारी किया जाता है। इससे डीलर की वर्किंग कैपिटल ब्लाक होती है। इस समस्या के निराकरण हेतु ऐसे डीलर्स जिनका गत वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक टर्नओवर इंटर-स्टेट सेल का है, उन्हें क्वार्टरली रिटर्न प्रस्तुत करने के पश्चात् आनलाइन आवेदन करने पर ई-रिफण्ड तीस दिवस के भीतर प्रदान जाना प्रस्तावित है।

253. वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कैजुअल कमोडिटिज पर कर संग्रहण हेतु टैक्स कलेक्शन सेंटर्स का संचालन किया जाता है। इन सेंटर्स को IT enabled किया जाकर डीलर्स द्वारा इन कमोडिटीज पर जमा कराये गये कर आदि की सूचना विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। इससे आईटीसी वैरिफिकेशन में डीलर एवं विभाग को सुविधा मिलेगी।

254. डीलर्स को बिना कार्यालय जाए अपील तथा पंजीयन के आवेदन-पत्र के स्टेटस की जानकारी देने के उद्देश्य से आनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

255. गत बजट घोषणा की पालना में वाणिज्यिक कर विभाग के सभी जोनल कार्यालयों में पीपीपी मोड पर डीलर फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किये गये हैं। इस सुविधा का और विस्तार करते हुए जोनल कर भवन परिसर के बाहर स्थित अन्य सभी सर्किल कार्यालयों में भी पीपीपी मोड पर डीलर फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

256. वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत कुछ परिस्थितियों में कर से मुक्ति अथवा रियायती कर दर का लाभ प्राप्त करने के लिए डीलर को बिक्री के समर्थन में वैट डिक्लेरेशन फार्म या सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होता है। ऐसे

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

डीलर्स जो निश्चित समयावधि में कुछ अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त डाकूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं, उन्हें राहत देने के उद्देश्य से दिनांक 30 सितम्बर, 2014 तक पूर्ण हो चुके कर निर्धारणों के लिये डिक्लेरेशन फार्म व सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की समयावधि दिनांक 30 जून, 2015 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

257. उद्योग एवं व्यापार जगत की मांग पर सम्बन्धित वित्तीय वर्ष क्वार्टरली और एनुअल रिटर्न्स में संशोधन हेतु एनुअल रिटर्न फाइल करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् 15 दिवस का अतिरिक्त समय दिया जाना प्रस्तावित है।

258. वर्तमान में 20 हजार रुपये से अधिक कर देने वाले डीलर्स को मासिक कर जमा कराना होता है। उक्त सीमा को बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इससे 25 हजार से अधिक डीलर्स को मासिक कर के स्थान पर त्रैमासिक कर जमा कराने की सुविधा प्राप्त होगी।

259. डीलर्स द्वारा वार्षिक अथवा त्रैमासिक रिटर्न नियत समय में फाइल नहीं करने पर लगने वाली लेट फी के प्रावधानों को गत बजट में संशोधित किया गया था। उपरोक्त प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए कर देयता वाले डीलर्स के लिये न्यूनतम लेट फी 1000 रुपये के प्रावधान को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।

260. वर्क्स कांट्रेक्टर के लिए जारी एक्जम्प्शन स्कीम का दायरा बढ़ाते हुए राज्य के बाहर से क्रय किये गये माल को वर्क्स कांट्रेक्ट में उपयोग करने पर भी एक्जम्प्शन स्कीम का लाभ सशर्त दिया जाना प्रस्तावित है।

261. वर्क्स कांट्रेक्टर में प्रिंसिपल कांट्रेक्टर द्वारा दिये गये सब-कांट्रेक्ट पर यदि सब-कांट्रेक्टर द्वारा कर चुका दिया गया है तो कर की गणना हेतु सब-कांट्रेक्टर द्वारा किये गये कार्य के टर्नओवर को प्रिंसिपल कांट्रेक्टर के टर्नओवर से डिडक्ट किया जाना प्रस्तावित है।

वैट अधिनियम में संशोधन

262. ई-कामर्स के माध्यम से हाल के वर्षों में व्यापार काफी बढ़ा है। ऐसे व्यापार पर सुचारु नियंत्रण के लिए ई-कामर्स कंपनीज द्वारा राज्य में किये जाने वाले कारोबार से सम्बन्धित वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के मेंडेटरी प्रावधान वैट अधिनियम में किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहन

263. हमारा उद्देश्य राज्य के औद्योगिक वातावरण को इन्वैस्टर फ्रैंडली बनाना है। राज्य में इस उद्देश्य से नये निवेश को प्रोत्साहन के साथ-साथ अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु नयी आरआईपीएस-2014 जारी की गयी है जिसमें कई थ्रस्ट सैक्टर्स जैसे पर्यटन, टैक्सटाइल आदि को विशेष लाभ दिये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में बड़े निवेश को आकृष्ट करने के उद्देश्य से 750 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले उद्योगों को कैपिटल गुड्स पर और सेवा क्षेत्र के उद्यमों को इक्यूपमेंट्स पर प्रवेश कर से शत-प्रतिशत छूट दी गयी है।

264. हमारा लक्ष्य है कि राज्य में अधिक से अधिक निवेश हो तथा राज्य एक औद्योगिक राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाए। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोग्राम, मेक इन इण्डिया को हम मेक इन राजस्थान के रूप में परिकल्पित कर सफल बनाने का संकल्प लेते हैं। इसी क्रम में राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं कुछ और प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं।

Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS), 2014

265. राजस्थान में कोटा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट पत्थर आधारित उद्योग प्रमुख स्थान रखते हैं। इन उद्योग की विट्रिफाइड टाइल्स से प्रतिस्पर्धा है। कोटा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट पत्थर से सम्बन्धित मैन्यूफैक्चरिंग एक्टिविटीज को थ्रस्ट सैक्टर में सम्मिलित करते हुए इन उद्योगों को अधिक लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में splitting, polishing, edge cutting, chamfering और calibrating हेतु लगने वाली expansion & new units को देय वैट का 65 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक सब्सिडी के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है।

266. वर्तमान में आरआईपीएस-2014 में थ्रस्ट सैक्टर में सम्मिलित Electronic System Design & Manufacture (ESDM) उद्योगों को विशेष लाभ दिये जा रहे हैं। इस सैक्टर में अधिक निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से 250 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को 90 प्रतिशत Capital investment subsidy और 10 प्रतिशत Employment generation subsidy 7 वर्ष के लिए दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 500 करोड़ रुपये से अधिक

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

निवेश करने वाली इकाइयों को यह लाभ 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाना प्रस्तावित है।

267. वर्तमान में आरआईपीएस-2014 में ट्यूरिज्म सैक्टर को भी थ्रस्ट सैक्टर में सम्मिलित किया हुआ है। राज्य में ट्यूरिज्म को बढ़ावा देना भी हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। इस सैक्टर को अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस योजना में संशोधन किया जाना प्रस्तावित कर रही हूं।

268. आरआईपीएफ-2014 के अन्तर्गत ट्यूरिज्म सैक्टर को देय लाभ प्राप्त करने के लिए होटल या मोटल में निवेश की न्यूनतम सीमा को 5 करोड़ रुपये से घटाकर 2 करोड़ रुपये करते हुए रिसोर्ट तथा कन्वेंशन सेंटर को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

269. इसके अतिरिक्त ट्यूरिज्म सैक्टर की एंटरप्राइजेज को कन्वर्जन चार्जेज तथा डवलपमेंट चार्जेज में शत-प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

270. रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की केन्द्र सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए ऐसे एंटरप्राइजेज को भी जो डिफेंस सेक्टर के लिए माल का निर्माण करते हैं, आरआईपीएस-2014 के अन्तर्गत थ्रस्ट सैक्टर में सम्मिलित कर विशेष लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

271. राज्य में उपलब्ध hard/saline water को पेयजल के रूप में उपयोग करने के लिए desalination की प्रक्रिया आवश्यक है। राज्य में desalination plant की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से desalination plant की स्थापना में निवेश करने वाले एंटरप्राइजेज को आरआईपीएस-2014 के अन्तर्गत लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

272. राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने तथा विदेशी निवेशकों के लिये अनुकूल वातावरण बनाने के लिये भी हम प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में जापानीज जोन में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के लिए इंटर-स्टेट सेल पर 0.25 प्रतिशत की सीएसटी दर को दिनांक 31 मार्च, 2016 या सीएसटी लागू होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

प्रवेश कर

273. राज्य के औद्योगिक वातावरण को इन्वैस्टर फ्रैंडली बनाने तथा राज्य के उद्योग जगत को राहत देने के उद्देश्य से राज्य में लागू प्रवेश कर की दरों में भी कुछ परिवर्तन प्रस्तावित हैं:-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

राज्य के उद्योग जगत द्वारा उद्योगों में प्रयुक्त वस्तुओं पर देय प्रवेश कर में राहत की मांग की गयी है। उनकी इस मांग के अनुरूप निम्न वस्तुओं पर से प्रवेश कर हटाया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	वस्तु का नाम
1	Tin plate
2	Coffee, cocoa
3	Hand pumps, their parts and accessories
4	Photographic film & photographic paper
5	AC pressure pipes
6	Saltpetre, gun powder, potash and explosives
7	Wireless reception instruments, apparatus, their parts and accessories
8	Toluene, Mix-xylene, Benzene and Mineral turpentine oil
9	Marble cutting tools, Gang saw
10	Diamond bits
11	Batasha, Mishri, Makhana, Sugar toys
12	Ice cream
13	Pipe and pipe fittings
14	Radio sets and Radio gramphones, VCR, VCP, Tape-recorders, Transistor sets and parts and accessories thereof.

इसके साथ ही निम्न वस्तुओं पर प्रवेश कर की दरों को कम किया जाना प्रस्तावित है :-

क्र. सं.	वस्तु का नाम	वर्तमान कर दर	प्रस्तावित कर दर
1	All kinds of industrial fuels including petrol, gasoline, petroleum coke in any form, high speed diesel oil etc.	5	3
2	All kinds of electrical and electronic goods including electronic meter, FAX Machines, SIM cards and smart cards and parts and accessories thereof.	14	4
3	Television sets, washing machine, microwave oven	14	4
4	All kinds of Telephone and parts thereof.	5	4
5	Computers and their accessories	5	4
6	Parts and accessories of all types of motor vehicles (other than tractors) including two and three wheelers.	15	4

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

क्र. सं.	वस्तु का नाम	वर्तमान कर दर	प्रस्तावित कर दर
7	Tyre, tubes and flaps of two wheelers, three wheelers and four wheelers motor vehicles, motor vehicles with more than four wheels or jeep trailers.	14	4
8	Aluminium structurals, steel fabrication items including G.S. Stay Sets, switch fuse units and isolators.	14	4
9	Steel structurals and steel bars including Thermo-Mechanically Treated steel bars (TMT)	5	4
10	Generating sets	14	4
11	Transformers and Transformer oil	5	4
12	Insulators	5	4
13	ACSR Conductors	5	4
14	Stay wire	14	4
15	Glass and glass sheets	14	4
16	Photo Copiers	14	4
17	Bitumen of all kinds	14	4
18	Lubricants including lube oil and grease	14	4

वैट दर सम्बन्धी प्रस्ताव

274. टैक्स एडवाइजरी कमेटी में तथा समय-समय पर प्राप्त अन्य सुझावों को ध्यान में रखते हुए आमजन को राहत देने के उद्देश्य से विभिन्न वस्तुओं पर वैट दरों को निम्नानुसार कम किया जाना प्रस्तावित है:-

- आमजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूजा हवन सामग्री की बिक्री को करमुक्त करने की मैं घोषणा करती हूं।
- पत्थर की चौखट, जूट रस्सी, कलौंजी, काली जीरी, Mosquito net, Bird net की बिक्री भी कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
- उम्र बढ़ने के साथ नागरिकों को मोतियाबिन्द हो जाता है। इस आपरेशन में प्रयुक्त होने वाले लैंस की बिक्री को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
- पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से Marble crazy, marble powder तथा marble chips की बिक्री को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य के पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोटा स्टोन पर वैट की दर 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- Used hydraulic excavators, Mining Machinery आदि पर used vehicle की तरह ही वैट दर 5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य में efficient energy utilization को ध्यान में रखते हुए CFL Bulb, CFL Tubelite, LED Bulb तथा Led Tubelight पर वैट दर 5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य में पर्यटक को बढ़ावा देने के क्षेत्र में हवाई सेवा का विशेष महत्व है। पर्यटकों के लिए हवाई सेवा सुलभ हो सके, इस हेतु जयपुर के अतिरिक्त अन्य शहरों में scheduled fights के विमानों को ईंधन पर कर की दर 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- रेस्टोरेंट एवं होटल्स में Cooked Food के साथ Pizza, Burger जैसे Fast food item का विक्रय भी किया जाता है जिस पर वर्तमान में 14 प्रतिशत कर दर है। Restaurant, Three Star से कम श्रेणी वाले होटल तथा Basik Heritage Hotel द्वारा Cooked Food का विक्रय करने पर 5 प्रतिशत कर देय है। इस प्रकार इन होटलों तथा रेस्टोरेंट में Cooked Food पर दो अलग-अलग कर दर होने के कारण व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है।
- इसके समाधान के लिए Branded Cooked food Chain को छोड़कर शेष Restaurant, Three Star से कम श्रेणी वाले होटल तथा Basic Heritage Hotel में इन fast food items के विक्रय पर भी 5 प्रतिशत वैट दर लागू किया जाना प्रस्तावित है।
- इसके अतिरिक्त 19 items यथा Core assembly of transformers, DG set, Aluminium containers for compressed gas and liquefies gas, Pre-stresses concrete poles, Toilet paper and toilet tissue paper, brushes excluding Tooth brushes, Soya milk, Non-mechanised Floor wipers & floor mops, Life-jackets & life-belts, Saccharine, Radio, Transistor, Plastic & cotton rope, membrane for water treatment and Abrasive paper पर VAT दर 14 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

275. प्रदेश में विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए निम्न उपाय प्रस्तावित हैं:-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- वैट अधिनियम की Schedule-V की वस्तुओं पर कर दर 14 प्रतिशत से 14.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- Gems & Stone तथा सर्राफा dealers के लिए वर्तमान में 0.25 प्रतिशत की दर से composition की राशि निर्धारित है जिसे 0.75 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- Mobile phone पर कर दर 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

विद्युत शुल्क

276. Diesel Generating Sets के अतिरिक्त अन्य Captive Power Generating Plants द्वारा Self generated विद्युत के उपभोग पर 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से Electricity duty लगाया जाना प्रस्तावित है।

विलासिता कर

277. मैंने ट्यूरिज्म सैक्टर को आरआईपीएस-2014 में विशेष लाभ देने की घोषणा की है। गत वर्ष आफ सीजन में सभी श्रेणी के होटलों पर लागू विलासिता कर की सामान्य दर में 50 प्रतिशत की छूट दी गयी थी। इसी क्रम में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आफ-सीजन (तीन माह) में देय विलासिता कर में अब शत-प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

278. राज्य के सभी मैरिज गार्डस पर लग्जरी टैक्स की देयता करते हुए उनको कम्पोजीशन स्कीम का विकल्प उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

279. राज्य सरकार के विभागों, विभिन्न विकास प्राधिकरणों, यूआईटीज, स्थानीय नगरीय निकायों एवं आवासन मण्डल द्वारा संचालित सामुदायिक भवनों में उपलब्ध करवायी जा रही सुविधाओं को विलासिता कर से 50 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

पंजीयन एवं मुद्रांक

280. वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) तथा निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के व्यक्तियों के पक्ष में विकास प्राधिकरणों, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड तथा नगर निकायों द्वारा आबंटित आवासों के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर क्रमश: 10 रुपये तथा 25 रूपये की हुई है, लेकिन इन दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क में कोई छूट नहीं है। मैं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी के व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित इन दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क को घटाकर अधिकतम 1000 रुपये करना प्रस्तावित करती हूं।

281. स्कूलों, धर्मशालाओं, अस्पतालों जैसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, स्थानीय निकायों अथवा उपक्रमों को भूमि/भवन आदि का दान करने पर दानदाताओं को ऐसे दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क की छूट के लिए हर बार राज्य सरकार से निवेदन करना पड़ता है। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सम्पत्ति के दान को प्रोत्साहित करने के लिए मैं ऐसे दान पत्रों के दस्तावेजों को स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से पूरी तरह मुक्त करना प्रस्तावित करती हूं।

282. वर्तमान में बकाया स्टाम्प ड्यूटी पर 12 प्रतिशत वार्षिक कंपाउंडेड दर से ब्याज का प्रावधान है। आमजन को राहत देते हुए ब्याज दर को 12 प्रतिशत compound interest के स्थान पर 12 प्रतिशत simple interest किया जाना प्रस्तावित है।

283. वर्तमान में बकाया स्टाम्प ड्यूटी पर पैनल्टी दर 2 प्रतिशत प्रति माह निर्धारित है। आमजन को राहत देते हुए पैनल्टी की दर को घटाकर 1 प्रतिशत प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है।

284. बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवास के लिए भूमि की कमी के कारण वर्तमान में बहुमंजिला भवनों का प्रचलन बढ़ रहा है। इस प्रकार सभी को आवास उपलब्ध कराने में बहुमंजिला भवनों की अहम भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला भवनों के अधीन भूमि के proportionate मूल्यांकन की वर्तमान दरों में कमी किया जाना प्रस्तावित है।

285. कम्पनी, फर्म अथवा संस्था द्वारा कृषि भूमि का क्रय किया जाकर राज्य सरकार की किसी योजना के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ लिये जाने पर वर्तमान में कृषि भूमि का मूल्यांकन क्रय प्रयोजन के अनुसार तथा अन्य मामलों में यह मूल्यांकन कृषि भूमि की डेढ़ गुणा दर से किया जाता है। मूल्यांकन के इन अलग-अलग मापदण्डों को समाप्त करते हुए कम्पनी, फर्म अथवा संस्था द्वारा कृषि भूमि का क्रय करने पर ऐसी भूमि का मूल्यांकन कृषि भूमि की सामान्य दर से किया जाना प्रस्तावित है।

286. स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त अधिकांश राजस्व अचल सम्पत्ति के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हस्तान्तरण दस्तावेजों से प्राप्त होता है। अचल सम्पत्ति का जितनी बार हस्तान्तरण होगा, उतनी बार राज्य को राजस्व भी प्राप्त होगा। अत: रिक्त भूखण्डों के पंजीकृत हस्तान्तरण को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे भूखण्ड के एक वित्तीय वर्ष में प्रथम हस्तान्तरण के बाद उसी अवस्था में उसी वित्तीय वर्ष में पुन: हस्तान्तरण होने पर प्रत्येक हस्तान्तरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी की कुल राशि में 10 प्रतिशत की रियायत दिया जाना प्रस्तावित है।

287. छोटे भूखण्ड की तुलना में बड़े भूखण्डों का मूल्य अधिक होने से उन पर स्टाम्प ड्यूटी का भार अधिक आता है। अत: बड़े भूखण्डों के क्रय-विक्रय के ट्रांजेक्शंस को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 वर्गमीटर से बड़े आकार के आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्डों के मूल्यांकन में रियायत दिया जाना प्रस्तावित है।

288. राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी है। अत: निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए Sponsoring Body द्वारा Private University की स्थापना के समय उसके पक्ष में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण हेतु निष्पादित दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दिया जाना प्रस्तावित है।

289. Operation Vijay (Kargil) व अन्य रक्षा operations में शहीद होने वाले सैनिकों की विधवाओं (War widows) के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा आबंटित भवन/फ्लैट पर देय स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क माफ है। इनके पक्ष में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या सहकारी समितियों से ऋण के सम्बन्ध में निष्पादित Mortgage deed पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूर्ण माफ करने की घोषणा करती हूं।

290. वर्तमान में रीको क्षेत्र एवं रीको क्षेत्र से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित औद्योगिक भूमि की दरें रीको क्षेत्र में लागू दरों के समान रखी गयी हैं। सुनिश्चित तरीके से विकसित रीको क्षेत्र के मुकाबले उसके बाहर स्थित औद्योगिक भूमियों में रीको क्षेत्र के समान विकास व अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण उनमें रीको की दरें लागू करने से उद्यमियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अत: रीको क्षेत्र से बाहर स्थित औद्योगिक भूमियों के लिए पृथक से तर्कसंगत दरें निर्धारित की जाकर ऐसी दरों को लम्बित प्रकरणों के लिए भी लागू किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

291. वर्तमान में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आबंटित/बेचान की गयी भूमि के सम्बन्ध में निष्पादित अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित intermediary documents पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत पर स्टाम्प ड्यूटी देय है। इस श्रेणी के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना में आमजन को आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ऐसे दस्तावेजों के निष्पादन की समयावधि के अनुसार वर्तमान बाजार मूल्य के निश्चित प्रतिशत पर स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

292. स्टाम्प अधिनियम के शिड्यूल के आर्टिकल 5 के तहत लोन एग्रीमेंट तथा आर्टिकल 6 के तहत equitable mortgage deed पर वर्तमान में 0.1 प्रतिशत की दर से तथा बिना कब्जे वाले सामान्य mortgage deed पर आर्टिकल 37(बी) के तहत 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी देय है। इन तीनों श्रेणी के दस्तावेजों की प्रकृति लगभग एक सामान होती है तथा इनमें सम्पत्ति का कब्जा दिये जाने का प्रावधान नहीं होता है। अत: इन तीनों श्रेणी के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की एक समान दर 0.15 प्रतिशत निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

293. निर्माण की विभिन्न श्रेणियों तथा stages को वर्गीकृत करते हुए स्टाम्प ड्यूटी की गणना के लिए निर्माण की श्रेणी के अनुसार उनके मूल्यांकन की दरों को तर्कसंगत करने तथा निर्माण की stages की बाजार दरों का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।

294. पुराने निर्माणों पर depreciation की जटिल एवं अव्यावहारिक व्यवस्था को समाप्त करते हुए पुराने निर्माणों पर depreciation की दरों के लिए एक सरल एवं व्यावहारिक व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है।

295. वर्तमान में जिला स्तरीय समितियों द्वारा जिलों में भिन्न-भिन्न मापदण्डों से भूमि की बाजार दरें निर्धारित की जाती हैं जिसके कारण पूरे राज्य में भूमि की दरों के निर्धारण में एकरूपता का अभाव बना रहता है। सम्पूर्ण राज्य में समान मापदण्डों पर भूमि दरों के निर्धारण हेतु जिला स्तरीय समितियों के लिए प्रति वर्ष गाइडलांइस तैयार करने के लिए नियमों में संशोधन कर महानिरीक्षक, स्टाम्प को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

296. गत वर्ष बजट में कृषि, आवासीय एवं वाणिज्यक से भिन्न श्रेणी की भूमियों की पूरे राज्य में एक समान मापदण्ड से दरें राज्य सरकार के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

स्तर से निर्धारित किये जाने की घोषणा की गयी थी। इस क्रम में 1,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के कृषि भूखण्डों, कार्नर भूखडों तथा अन्य श्रेणी की भूमियों की तर्कसंगत दरें निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

297. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के तहत कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित निर्णय का रिवीजन राजस्थान टैक्स बोर्ड में होता है। राजस्थान टैक्स बोर्ड में बड़ी राशि के मामलों का समुचित परीक्षण कर निर्णय प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपये से अधिक मांग राशि के मामलों की सुनवाई टैक्स बोर्ड की दो या दो से अधिक सदस्यों की पीठ द्वारा किये जाने के लिए मामलों में प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

298. विकास प्राधिकरणों एवं नगरीय निकायों द्वारा मिश्रित भू-उपयोग के लिए भूमि के पट्टे जारी किये जा रहे हैं। वतर्मान में मिश्रित भू-उपयोग की भूमि के लिए पृथक के बाजार दरें निर्धारित नहीं होने के कारण इनके मूल्यांकन में कठिनाई आती हैं। अत: विकास प्राधिकरणों एवं नगरीय निकायों द्वारा भूमि के मिश्रित भू-उपयोग के लिए जारी पट्टों के मामलों में भूमि की पृथक् से दरें निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

299. सम्पत्तियों के पंजीयन में आमजन को सुविधा देने की दृष्टि से गत बजट में मैंने 40 उप-पंजीयक कार्यालय को पूर्ण कम्प्यूटरीकृत करने की घोषणा की थी। ये 40 उप-पंजीयक कार्यालय पूर्ण कम्प्यूटरीकृत हो चुके हैं। अब नये वित्तीय वर्ष से द्वितीय चरण में प्रदेश के 80 और उप-पंजीयक कार्यालय को कम्प्यूटरीकृत करने का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

300. मैंने इस वित्तीय वर्ष में राज्य के 62 स्वतंत्र उप-पंजीयक क्षेत्रों में e-stamp उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। e-stamp व्यवस्था को पूरे राज्य में लागू करने के क्रम में e-stamp के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकृत Central Record Keeping Agency द्वारा चयनित stamp vendors तथा अन्य एजेंसीज के माध्यम से राज्य के शेष 23 स्वतंत्र उप-पंजीयक कार्यालयों तथा 50 पदेन उप-पंजीयन कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से e-stamp व्यवस्था का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही पचास हजार से अधिक स्टाम्प ड्यूटी देय होने वाले दस्तावेजों में physical stamp के स्थान पर केवल e-stamp का ही उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

301. जिन दस्तावेजों पर मूल्यानुसार (ad valorem) स्टाम्प ड्यूटी देय

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

है, उन दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एक प्रतिशत एवं अधिकतम 50,000 रूपये देय है। पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा को हटाया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव 50 लाख रुपये तक मूल्य के दस्तावेजों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा।

302. वित्तीय संस्थाओं के मध्य Debt assignment के दस्तावेजों पर सम्पत्ति के बिना कब्जे वाले अन्य ऋण दस्तावेजों के समान स्टाम्प ड्यूटी की दर को 0.15 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

303. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची में बैंक गांरटी पर पृथक से स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधान नहीं है। बैंक गांरटी के दस्तावेज को राजस्थान स्टाम्प एक्ट के शिड्यूल में पृथक से जोड़कर इस पर 0.25 प्रतिशत और अधिकतम 25,000 रूपये स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

304. पैतृक सम्पत्तियों से सम्बन्धित Release Deed के वर्तमान प्रावधानों को व्यापक बनाकर कतिपय नजदीकी रिश्तेदारों के मध्य निष्पादित अचल सम्पत्ति का Release Deed पर स्टाम्प ड्यूटी की 100 रुपये की वर्तमान दर को बढ़ाकर 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

305. Adoption deed, affidavit तथा कतिपय श्रेणी की power of attorney पर देय स्टाम्प ड्यूटी की वर्तमान दरों को अन्य राज्यों में इन दस्तावेजों पर प्रभावी दरों को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत किया जाना प्रस्तावित है।

306. वर्तमान में आर्म्स लाइसेंस पर स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान नहीं हैं। आर्म्स लाइसेंस को राजस्थान स्टाम्प अधिनियम शिड्यूल में सम्मिलित करते हुए व्यक्तियों तथा डीलर्स के पक्ष में जारी किये जाने वाले आर्म्स लाइसेंसेज तथा उनके नवीनीकरण पर श्रेणी अनुसार विभिन्न दरों से स्टाम्प ड्यूटी लिया जाना प्रस्तावित है।

खान विभाग

307. Rajasthan Minor Mineral Concessions Rules, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में खनिज मार्बल पाउडर पर रायल्टी 65 रुपये प्रति टन देय है। पर्यावरण संरक्षण के लिए मार्बल पाउडर के मलबे के उपयोग प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से खनिज मार्बल पाउडर रायल्टी की देयता समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

राजस्व एवं उपनिवेशन

308. उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के सभी श्रेणी के आबंटियों को कृषि भूमि आबंटन के पेटे बकाया किश्तों की राशि को दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

परिवहन

309. वर्तमान में differently abled persons के द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले Invalid Carriage पर देय एकबारीय कर में 100 प्रतिशत छूट है। ऐसे Carriage की उपलब्धता नहीं के बराबर होने के कारण इस छूट का लाभ physically challenged व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है। Physically challenged लोगों के लिए रेट्रो फिटमेंट के माध्यम से इन Invalid carriage को adoptable बनाया जाता है। अत: physically challenged लोगों के द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले आठ लाख रुपये तक की कीमत वाले ऐसे Adopted Invalid carriage पर देय एकबारीय कर में 100 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

310. महिलाओं के सशक्तीकरण को दृष्टिगत रखते हुए नियमों में संशोधन कर लर्निंग लाइसेंस एवं चालक लाइसेंस फीस में 50 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

311. मैंने अभी RIPS-2014 के अन्तर्गत ट्यूरिज्म सैक्टर को कई लाभ प्रस्तावित किये हैं। पर्यटन के क्षेत्र में Recognised Tour Operators का भी अहम योगदान है। इसी क्रम में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु Recognised Tour Operators की एक्सक्लूसिव रूप से पर्यटकों को परिवहन करने वाली 30 बैठक क्षमता से अधिक की AC coaches पर (sleeper coaches को छोड़कर) देय Special Road Tax में तीन वर्ष तक रियायत दिया जाना प्रस्तावित है।

312. पिछले बजट में 7,500 किलोमीटर Gross Vehicle Weight तक भार वाहन तथा टैक्सी एवं मैक्सी कैब श्रेणी के दिनांक 1.8.2014 से नये पंजीकृत होने वाले वाहनों पर एक वर्ष में छह समान किश्तों में जमा कराने के विकल्प के साथ एकमुश्त कर अनिवार्य रूप से आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान अब इन्हीं श्रेणियों के दिनांक 1.4.2007 या इसके बाद पंजीकृत हुए वाहनों पर भी लागू किया जाना प्रस्तावित है।

313. केन्द्र सरकार के स्तर पर गठित Transport Development Coun-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

cil द्वारा सभी प्रकार के Non-transport vehicle पर छह प्रतिशत की दर से एकबारीय कर की Floor Rate अपनाये जाने की अनुशंसा की गयी है। 125 सी.सी. तक इंजन क्षमता वाले दुपहिया वाहनों पर छह प्रतिशत की दर से एकबारीय कर आरोपित किया जाना प्रस्तावित है।

314. Purely off-highway vehicle की नयी श्रेणी राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 में परिभाषित की गयी है। इन वाहनों पर चेसिस के रूप में क्रय करने पर 7.5 प्रतिशत की दर से तथा कम्पलीट बाडी के साथ क्रय किये जाने पर छह प्रतिशत की दर से एकबारीय कर आरोपित किया जाना प्रस्तावित है।

315. राज्य की परमिटधारी यात्री बसों के मोटर वाहन कर की वार्षिक देयता पर दिनांक 1.7.2003 से 12,000 रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की हुई है। इस अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

316. इस वित्तीय वर्ष में वाणिज्यिक कर विभाग, खान विभाग एवं पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा जारी की गयी Amnesty Scheme का लाभ राज्य के डीलर्स तथा नागरिकों द्वारा काफी संख्या में उठाया जा रहा है तथा राज्य को भी राजस्व की प्राप्ति हो रही है। इसी क्रम में वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से Amnesty Scheme लाया जाना प्रस्तावित है।

317. इस Amnesty Scheme के अन्तर्गत ऐसे वाहन जो अस्तित्व में नहीं हैं तथा नष्ट हो चुके हैं, को vehicle destruction का संतोषजनक प्रमाण करने पर वाहन के नष्ट होने की तिथि के बाद का कर एवं पैनल्टी माफ करना प्रस्तावित है। इस हेतु वाहन मालिक को बकाया राशि दिनांक 30.6.2015 तक जमा करवानी होगी तथा इसके पश्चात् वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

318. इसके साथ ही मोटर वाहनों पर दिनांक 31.3.2012 तक के बकाया कर को दिनांक 30.6.2015 तक जमा कराने पर इस पर देय पैनल्टी को माफ किया जाना प्रस्तावित करती हूं।

319. मेरे इन कर प्रस्तावों से लगभग 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय सम्भावित है तथा 200 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गयी है।

320. इन प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

संशोधन प्रस्तावित है। इन संशोधनों के सम्बन्ध में विस्तृत उद्देश्य एवं प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।

321. साथ ही मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों एवं घोषणाओं की क्रियान्विति हेतु तथा कुछ वस्तुओं में कर सम्बन्धी संशोधन एवं अन्य प्रयोजनार्थ भी कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।

संशोधित अनुमान 2014-15 एवं बजट अनुमान 2015-16

322. मैं सदन को यह बताना चाहूंगी कि भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों में राज्य को केन्द्रीय करों में हिस्से के रूप में 22,432 करोड़ रुपये देने का अनुमान किया था, परन्तु भारत सरकार के संशोधित अनुमानों के अनुसार इसमें 2,615 करोड़ रुपये की कमी आयी है। जहां एक ओर क्रूड आयल एवं पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी से राज्य को कम राजस्व प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर केन्द्रीय योजनाओं में केन्द्रीय अंशदान भी कम प्राप्त होने का अनुमान है। इन सब कारणों से संशोधित अनुमान 2014-15 में 4,219 करोड़ 61 लाख रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित है।

323. राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं के आगामी वर्ष के बजट अनुमान, केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के प्रारम्भिक आकलन के आधार पर तैयार किये गये हैं। भारत सरकार ने अपने बजट में विभिन्न योजनाओं के sharing pattern को बदलने के संकेत दिये हैं। कुछ योजनाओं को समाप्त भी कर दिया है। योजनाओं के नये दिशा-निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, परन्तु प्रारम्भिक आकलन के अनुसार इन योजनाओं में केन्द्र सरकार से मिलने वाली राशि में काफी कमी होना सम्भावित है।

324. संशोधित अनुमान वर्ष 2014-15 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

1	राजस्व प्राप्तियां	96 हजार 668 करोड़ 33 लाख रुपये
2	राजस्व व्यय	1 लाख 887 करोड़ 94 लाख रुपये
3	राजस्व घाटा	4 हजार 219 करोड़ 61 लाख रुपये
4	पूंजी खाते में प्राप्तियां	29 हजार 546 करोड़ 5 लाख रुपये
5	पूंजी खाते में व्यय	25 हजार 223 करोड़ 69 लाख रुपये
6	पूंजी खाते में आधिक्य	4 हजार 322 करोड़ 36 लाख रुपये

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(14.00 बजे)

325. वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

1	राजस्व प्राप्तियां	1 लाख 11 हजार 361 करोड़ 66 लाख रुपये
2	राजस्व व्यय	1 लाख 10 हजार 804 करोड़ 84 लाख रुपये
3	राजस्व आधिक्य	556 करोड़ 82 लाख रुपये
4	पूंजी खाते में प्राप्तियां	26 हजार 526 करोड़ 3 लाख रुपये
5	पूंजी खाते में व्यय	26 हजार 908 करोड़ 54 लाख रुपये
6	पूंजी खाते में घाटा	382 करोड़ 51 लाख रुपये

राजस्व आधिक्य

326. वर्ष 2015-16 के मूल अनुमानों में 556 करोड़ 82 लाख रुपये का राजस्व आधिक्य रहने का अनुमान है।

राजकोषीय घाटा

327. वर्ष 2015-16 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 20,609 करोड़ 75 लाख रुपये अनुमानित है, जो कि GSDP का 2.99 प्रतिशत है।

328. मैं वर्ष 2015-16 का वार्षिक वित्तीय सभा पटल पर रख रही हूं। साथ ही, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की अपेक्षानुसार मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीतियुक्त विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण मैं सभा पटल पर रख रही हूं। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

329. इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको आपके भाषण की रफ्तार, मैचलैस के लिए बधाई देता हूं। बहुत शानदार तरीका था। विधायी कार्य। राजस्थान वित्त विधेयक, 2015 । वह तो आपने रख दिया न। फिर रखिये आप। उपस्थापन करेंगे, जैसा आपने भाषण में कहा है। लेकिन आय व्ययक अनुमान का वर्ष 2015-16 का उपस्थापना करेंगी और उसे सदन की मेज पर रखेंगी, यह तो आपने भाषण में बोल दिया है, फिर भी एक बार व्यवस्था पूरी कर दीजिये।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-16 का उपस्थापन करती हूं एवं इसे सदन की मेज पर रखती हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान वित्त विधेयक, 2015

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। राजस्थान वित्त विधेयक, 2015, पुरस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी। प्रभारी मंत्री।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक दिनांक 10 मार्च, 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.04 बजे, मंगलवार दिनांक 10 मार्च, 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)